laterally the accounts from one Branch to another without the consent of the account-holders which will result not only in great inconvenience to the account-holders but is a practice unheard of in the banking business. This has created justifiably a serious resentment among the depositors. They have formed an association and are carrying on an agitation there.

In the Grindlays Bank for the last 2-3 years no vacancies have been filled up. As a result the strength of the employees has come down by about 120. It is apprehended that within the next few years the present strength of the staff will be reduced to half. By restricting their activities with big business and big account-holders only, the job potential in the Bank has been substantially reduced and the future of the present employees has become uncertain.

So, it is urgently necessary for the Reserve Bank of India to intervene in the matter. Under Section 35A of the Banking Regulation Act the Reserve Bank of India can issue directions to all banks including foreign banks and unless the Reserve Bank moves in the matter and the central government takes action, not only this agitation will go on and account-holders are being arbitrarily asked to go from one branch to another and employees are being transferred from one place to another without any consultation and the staff pattern is being altered. This is creating great difficulty and resentment among the account-holders and employees and demonstrations are going on. I request the hon. Labour Minister who is present in the House. We have met the Finance Minister also and it seems no action is being taken. It is high time that some action it taken in the matter. Particularly I request the Labour Minister who is here to look into the matter.

15.40 hrs.

MOTION *RE.* TWENTYETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND DISCUSSION ON EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN SERVICES AGAINST RESERVED QUOTA- *Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up the Motion moved by Prof. Madhu Dandavate.

Shri Kacharulal Hemraj Jain to continue his speech.

श्री कचरु लाल हेमराज जैन (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है । मैं सर्वप्रथम यहां चुन कर आए हुए सदस्यों को आगाह कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 60 प्रतिशत आबादी में बसे हुए हरिजन और आदिवासी हैं और आज उन की क्या हालत है यह अच्छी तरह से हर निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य जानता है । आज हम इस बात को देख रहे हैं इस सदन में 8 महीने से कि पुरानी सरकार ने यह किया और वह किया ।

15.41 hrs.

[SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं, अभी यहां हमारे श्रम मंत्री बैठे हुए हैं, मैंने पिछले भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया था कि भारत में 70 लाख लोग बीड़ी मजदूर हैं और वे हरिजन आदिवासी हैं । पिछले बजट सत्र में बीड़ी पर कर लगाया गया । आज तीस सालों की आजादी के बाद भी बीड़ी उद्योग में काम करने वालों के लिए कोई नियम लागू नहीं है । उनकी इतनी दुर्दशा हो रही है कि वें दाने-दाने को मोहताज हैं । बीड़ी उद्योगपति सब गुजरात के लोग हैं और वे शासन के साथ मिल कर 70 लाख लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं । सरकार की ओर से उसके लिए उनको कोई प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है ।

[श्री कचरू लाल हेमराज जैन]

अभी भूमिहीन हरिजन आदिवासियों को भूमि का जो वितरण हुआ हैं वह एक मखौल किया गया है, एक मजाक किया गया है और आज भी सरकार का कोई कदम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है । उनको ऐसी जमीन बांटी गई है जिसमें वे तो क्या उन के नाती-पनत भी अनाज नहीं बो सकते हैं । हरिजन आदिवासियों की दोहाई देने वाली सरकार से मेरा निवेदन है कि जिन लोगों में उस भूमि का वितरण हुआ है उन्हें भूमि दुरुस्त करके और खेती लायक बना कर दें । आज दुनिया भर की बातें आ रही हैं । गांवों में जाते हैं तो देखते है कि जो हरिजन आदिवासी गांवों में बसे हैं उनकी ऐसी दुर्गती है कि जिस की कोई सीमा नहीं । बीड़ी के मालिक वहां खुले आम नंगी लूट कर रहे हैं । हमारे मध्य प्रदेश में उन ग्रामीण लोगों को, हरिजन और आदिवासियों को जो काम मिलता है मध्य प्रदेश शासन के पी०डब्ल्यू डी० या इरीगेशन की तरफ से उसमें उन का जो रेट हैं वह करीब ढाई रुपये रोज है । ढाई रुपये रोज पर आज भी उन से वहां काम लिया जा रहा है । इस सरकार के आने के बाद भी उन की कोई वेतन-वृद्धि नहीं हुई है और पुरानी सरकार ने पिछले तीस सालों में उन की खाल निकाल ली है । क्या इस सरकार का इस ओर भी ध्यान है कि उन गरीबों को उनकी मेहनत का वाजिब पैसा मिले ? इस के लिए उनको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा ।

आज मैं कह देना चाहता हूं, पहले भी मैंने कहा, पूरे भारत के लिए संसार के अन्दर एक कलंक है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में एक कोटवार होता है जिस की तनख्वाह 25 रुपये महीना है । शर्म की बात है हमारे लिए, तीस साल की आजादी के बाद तीसों दिन काम करवे के बाद 25 रुपये उनको तनख्वाह के मिलते हैं और तनख्वाह के वितरण का तरीका भी सुन लें । तीन महीने में उन को तनख्वाह मिलेगी और उसके लिए गांव का रहने वाला कोटवार तहसील के हेडक्वार्टर पर जायेगा । तीन बार उस का बुलावा होगा, तीस रुपये उस के उस में खर्च हो जाएंगे, 70 की जगह पर उसको 40 रुपये मिलेंगे । यह व्यवस्था हमारे लिए कलंक का विषय बनी हुई है । इन कोटवारों में भी कोई ब्राह्मण या अन्य जाति का आदमी काम नहीं कर रहा है, 99 फीसदी हरिजन काम कर रहे हैं । उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार भारत की आजादी के बाद भी चल रहा है । बड़ा शोचनीय विषय है ।

जो हमारे हरिजन और आदिवासी भाई हैं उन के लिए जो साधन और सुविधाएं दी जानी चाहिएं उस पर पुरानी सरकार ने दुर्लक्ष्य किया है और हमारी नई सरकार के आने के बाद भी उस पर कोई लक्ष्य, कोई कदम, कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है । इस-लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर वह ध्यान दे और अति शीघ्र इस पर निर्णय ले अन्यथा यह जो आज गरीब लोगों की आत्मा तड़प रही है अगर यह ज्वाला भड़क गई तो कोई सरकार इसके सामने बचने वाली नहीं है ।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हरिजन आदिवासियों के लिए जितने आयुक्त और उच्च अधिकारी नियुक्त हैं वे जन्मजात उन के दुश्मन हैं । चौबे, पांडेय, दुबे, शुक्ला, मिश्रा यही उनके उच्च अधिकारी बने हुए हैं । जिन्हें पुरानी सरकार ने रखा है वही आज भी नई सरकार में कायम हैं । मैं नयी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके जो ये उच्च अधिकारी है वे उन्हीं में से हों । उन्हीं में से योग्य व्यक्तियों को लेकर उन पदों पर रखा जाये । आज जबकि उनके लिए रिजर्वेशन है और

उनके अन्दर काफी योग्य व्यक्ति हैं तब भी वे नौकरियों के लिए तरस रहे हैं । उनको मौका नहीं मिलता है । उसी तरह से वह काम चालू है । मैं खासतौर पर सरकार से कहना चाहता हूं और श्रम मंत्री को आगाह करना चाहता हूं कि याद रखिए, बीड़ी कामगारों के लिए अगर अच्छी नीति नहीं अपनाई तो उनमें बड़ा असंतोष फैलेगा । वहां पर आज भी ठेकेदारी प्रथा चलती है, सरेआम कत्लेआम हो रहा है । यदि समय रहते सरकार ने मुनासिब कदम नहीं उठाये तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है । आज इस देश में नई सरकार बनने के बाद लोग बड़ी-बड़ी आशायें लगा कर बैठे हैं । हम जब अपने निर्वाचन-क्षेत्र में जाते हैं तो हमसे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ तो हम कहते हैं रघुपति राघव राजाराम हुआ क्योंकि यहां से हमको कोई ऐसी चीज बतलाई नहीं जा रही है जो हम वहां जाकर उनको बता सकें । आज ग्रामीण अंचलों में हरिजन और आदिवासी तड़प रहे हैं । वहां पर रास्तों का कोई ठिकाना नहीं है । छोटी-छोटी पुलियों को बनाने और रास्तों को बनाने का कोई काम चालू नहीं हैं । लोग बेचारे काम पाने के लिए तरस रहे हैं । उनको एक रुपया रोज को मजदूरी भी नहीं मिल रही हैं ।

कल यहां पर वित्त मंत्री महोदय ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा करदी जिस पर सालाना 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे । लेकिन मैं पूछता हूं कि उन लोगों को कौन महंगाई भत्ता देगा जिनको गांव में एक रुपया रोज भी नहीं मिल रहा है । तो इस प्रकार की अनियमितता इस देश में नहीं चलनी चाहिए । मैं कहता हूं कि आप इस पर जल्दी से जल्दी विचार कीजिए क्योंकि अगर कहीं इस देश में इस विषय को लेकर ज्वाला भड़क गई तो उसमें कोई भी नहीं बचेगा । आज महंगाई अपनी चर्म सीमा को पहुंच गई है, देश की जनता तड़प रही है और हर तरफ बेकारी तथा बेरोजगारी छाई हुई है ।

हरिजन और आदिवासियों के नाम पर करोड़ों रुपये का बजट बनाया जाता है । पिछली सरकार ने ऋण मुक्ति का एक ड्रामा खेला था, मैं आज यह भी बता दूं कि उसका क्या नतीजा निकला । सैकड़े में दस प्रतिशत लोगों को साहूकारों से जबर्दस्ती माल दिलाया गया लेकिन 90 प्रतिशत लोगों को माल नहीं मिला । आज लोगों को अगर दस रुपये की आवश्यकता होती है और उनके पास सौ रुपये का जेवर हो तब भी उनको पैसा नहीं मिलता है । मैं जानता चाहता हूं इस सम्बन्ध में नई सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है ? जो लोग पहले अपना जेवर रख कर कर्जा लिया करते थे उनको पैसा दिलाने का सरकार ने कौन सा प्रबन्ध किया हैं ? कौन सी पद्धति का विस्तार किया गया है जिससे कि उनको पैसा मिल सके ? आप शहरों की बात ही देख रहे हैं लेकिन अगर आप देहातों में जायें, तो देखेंगे कि वहां की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है ।

जिन हरिजनों ने बौद्ध धर्म गृहण किया है उनके सम्बन्ध में जो नयी पद्धति अपनाई गई हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म नहीं है ? पुरानी सरकार ने यह बात कह कर नव बौद्ध हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं और सहूलियतों पर प्रतिबन्ध लगाया । 17 अगस्त को हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री खोबरगढ़े के साथी श्री डी० जी० गवई साहब, संसद सदस्य प्रधान मंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि उनको यह सुविधाएं जरूर दी जानी चाहिएं लेकिन अगस्त के बाद अब नवम्बर चल रहा है, उस बात को लेकर कुछ लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसका कोई अंजाम नहीं निकल रहा है । क्या बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म नहीं है ? अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन

[श्री कचरु लाल हेंमराज जैन]

कर लिया तो क्या उनकी परिस्थिति बदल गई, वे पैसे वाले हो गए? क्या एक दिन में उनका नकशा बदल गया ? इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

आज गांवों में हरिजनों को सस्ते रेट पर अनाज देने की बात कही जा रही है । बड़े-बड़े अखबारों और प्रचार सामग्री के माध्यम से घोषणा की जाती है लेकिन आप गांवों में जा कर देखें तो पता चलेगा कि उनके साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जाता है । सरेआम उनकी लूट हो रही है । उन्होंने इस नई सरकार से बड़ी आशायें लगा रखी हैं । मैं आशा करता हूं हमारी नई सरकार अपनी श्रम नीति के द्वारा उनको सम्पूर्ण अधिकार और साधन दिलाने की चुनौती स्वीकार करेगी और उसको कार्यान्वित भी करेगी । इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : अधिष्ठाता महोदय, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सम्बन्धित जो रिपोर्ट सदन में पेश की गई हैं, उन पर आज मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर आपने दिया है, इस के लिये मैं आप को हार्दिक धन्यवाद देता हूं ।

बड़े दुख के साथ मैं आज अपनी बात शुरू करना चाहता हूं–इन चार रिपोर्टों पर जो आज इस सदन में पेश हैं, इन पर पिछले सदन में बहस शुरू हुई, लेकिन उस समय बहस पूरी न हो सकी । हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि हम लोगों को बोलने का मौका मिले, लेकिन नहीं मिल पाया, इसीलिये इस अधिवेशन में इस बहस को बढ़ाया गया । अभी कुछ सज्जन कह रहे थे कि जब भी शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के मामलों को लेकर इस सदन में बहस होती है एक उपेक्षित सा वातावरण सदन में बना रहता है । जब समय बचता है तब थोड़ी सी बहस हो जाती है, जैसे कल आधा घन्टा बहस हुई, आज शायद एक दो घन्टे बहस हो जाये, इसी तरह से कल भी आधा या एक घन्टा बहस हो जायेगी । इस तरह का जो उपेक्षित रवया हम लोगों ने अख्तियार किया हुआ है–मैं भविष्य के लिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं–जब भी पिछड़े वर्ग के लोगों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कोई प्रश्न आये, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की उपेक्षा का व्यवहार न हो, इस तरह का वातावरण न बनने पाये । मैं सरकार के जिम्मेदार लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वे जानते हैं कि आज जनता सरकार के प्रति हरिजनों के प्रश्न को लेकर एक तूमार मचा हुआ है । इस तूमार में यह बात नहीं है कि यह कोई बनावटी तूमार है पिछली सरकार ने जो उपेक्षित दृष्टिकोण हरिजनों के प्रति रखा, उसमें वर्तमान सरकार कोई सुधार नहीं कर पाई है । ऐसा वातावरण अभी नहीं बन पाया है, मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधान मंत्री जी और हमारी जनता सरकार देखेगी और विचार करेगी और ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करेगी ताकि हरिजनों और उपेक्षित वर्ग के लोगों का विश्वास वह प्राप्त कर सके ।

अधिष्ठाता महोदय, जबसे देश में कांग्रेस राज्य बना, मैं भी कांग्रेस में रहा । सन् 1952 से लेकर आज तक मैं देखता आया हूं– इस पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिये चाहे सामाजिक उन्नति हो, चाहे आर्थिक उन्नति हो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाने की बात हो–तरह-तरह की मदद करने के प्रयास किये गये । लेकिन दुर्भाग्य

यह रहा कि मदद के तौर-तरीके जो रहे, वे समझ के बाहर रहे। जैसे आर्थिक दृष्टि से मदद करने की बात कही गई, तो हम हरिजनों से कहा गया कि आप सूअर पालिये, मुर्गी पालिये, बकरी पालिये, यह कभी नहीं कहा गया कि गाय पालिये, भैंस पालिये या दूसरे रोजगार धन्धे कर लीजिये। वे काम जिन से दूसरी जातियों के लोग घृणा करते हैं, उन को इस समाज में कराने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि यह वर्ग पिछले तीस सालों में तरक्की नहीं कर पाया।

इस तरह से आप शिक्षा में देखिये– यह सही है कि शिक्षा इस समाज के लोगों को मिले। ऐसा प्रयास किया गया, वजीफा और किताबें भी दी गयीं। लेकिन मैं आप में निवेदन करना चाहूंगा–जब सन् 1947 या 1948 से वजीफे दिये जाने शुरू हुए और लड़कों ने पढ़ना शुरू किया, 10–15 साल के बाद उन में बहुत से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बने। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद वे एम० बी० बी० एस०, एल० एल० बी० और दूसरी उच्च शिक्षा के लिये जा सकते थे लेकिन धनाभाव के कारण, अर्थाभाव के कारण वे पढ़ नहीं सकते थे। तो इस की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिस से हायर ऐजूकेशन उन को मिल सके। इसलिए मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस को अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवेतन लाना चाहिए और इन जगहों के लिये उन लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए। मैं बहुगुणा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब वे उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री थे, तो उन्हों ने इन लोगों के लिए एम० बी० बी० एस० कोर्स के लिये रिजर्वेशन दिया। पहले 3 परसेन्ट रिजर्वेशन था लेकिन उन्होंने पहले इस को 12 परसेन्ट बढ़ाया और उस के बाद 18 परसेन्ट रिजर्वेशन कर दिया। इसी तरीके से उन्हों ने एल० एल० बी० कोर्स के लिए भी कुछ किया था कि किताबें खरीदने के लिए उनको आर्थिक सहायता दी थी। मैं वर्तमान सरकार से यह अपेक्षा करना चाहूंगा और करता हूं कि वह भी इस बारे में प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाएगी और ऐसा रुख अपनाएगी कि इस समाज के अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों और शिक्षित हो कर उन्नति करें। इस के लिये यह सरकार प्रयास करेगी, यह मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

गरीब, शोषित और पीड़ित लोगों का नाम ले कर प्रत्येक दल, चाहे यह सत्तारूढ़ दल हो चाहे दूसरा कोई दल हो, चाहे मैं हूं और चाहे इस सदन के दूसरे सदस्य हों, और चाहे किसी विधान सभा के सदस्य हों, हर एक व्यक्ति यह कहता है कि शोषित पीड़ित सर्वहारा पर अन्याय हो रहा है और यह कह कर अपनी लम्बी आवाज में बोलता है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम ने इस बात का प्रयास किया कि आखिर इस शोषित, पीड़ित और सर्वहारा वर्ग के लिए, जिस के पास न धन है, न खेत है और न खलिहान है, कोई ठोस या कारगर कदम उठाया जिस से इस वर्ग की उन्नति हो। मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बात की छानबीन होनी चाहिए कि कितने परिवार, कितने लोग इन वर्गों के हमारे देश के अन्दर ऐसे हैं जिन के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य सरकारों को इस बात के आदेश दिये जाने चाहियें कि वे इस तरह की छानबीन करें और आश्रम टाइप के स्कूल इन लोगों के लिए चलने चाहियें और उन का पूरा खर्च और व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर आप इन बेसहारा, बेघर शोषित और पीड़ित लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो आप को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए।

[श्री राम लाल राही]

एक सज्जन ने अभी सवाल किया था कि मिलिट्री सेवाओं में हरिजनों की संख्या नगण्य है। यह बात सही है। मिलिट्री सेवाओं की बात तो आप छोड़ दें। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो सैनिक स्कूल भारतवर्ष में हैं उन में हरिजनों की भर्ती नहीं होती है। सारे हिन्दुस्तान में सिर्फ दो सैनिक स्कूल इम्फाल और गोलपारा में ऐसे हैं जहां पर कुछ हरिजन बच्चों की भर्ती होती है बाकी सैनिक स्कूलों में उनकी भर्ती नहीं होती हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि उन स्कूलों में इन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि जैसी शिक्षा हमारे देश में चल रही है, उस तरह की शिक्षा से हरिजन वर्ग के बच्चे ऐसे स्कूलों में नहीं जाने पावेगें। इसलिए शिक्षा का स्तर एक होना चाहिए। जब तक शिक्षा का स्तर एक सा नहीं होगा, इस समाज के लोग ऐसे स्कूलों में नहीं जा सकेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि वर्तमान सरकार इस बात की तरफ ध्यान दे कि सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए समुचित प्रतिनिधित्व उन्हें मिले।

भूमि आवंटन के बारे में भी इन रिपोर्टों में सिफारिश की गई है। भूमि आवंटन की तरफ भी इस सरकार को प्रगतिशील रुख अपनाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं, हो सकता है कि इस बात से किसी को तकलीफ हो कि इमर्जेन्सी के पीरियड में जो भूमि आवंटन का आन्दोलन चला था और जो भूमि आवंटित की गई थी चाहे गलत पट्टे हों या सही इस में मैं नहीं जाना चाहता, निश्चित रूप से उस में गरीब लोगों को कुछ भूमि मिली थी और उस पर उन का कब्जा हुआ था। आज वह इमर्जेन्सी समाप्त होने के बाद जनता सरकार आने के बाद उस गति में बिल्कुल धीमापन आ गया है। ऐसा लगता है कि उस दृष्टिकोण में कमी आ गयी है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हरिजनों को जीतना चाहते हैं, उन को अपने साथ रखना चाहते हो, मिलाना चाहते हो तो इस काम में आप को तेजी के साथ प्रयास करने पड़ेंगे। अन्यथा हरिजन का जो अब तक दृष्टिकोण रहा है, जो विरोधी भावना वह अपनाये रहा है उस को आप दूर नहीं कर पायेंगे। इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

यही नहीं, हम को थोड़ा-सा और आगे जाना चाहिए। जिन लोगों को पीछे जमीनें दी गई हैं वे जमीनें ऊसर, बंजर क्षेत्र में जमीनें दी गई हैं। वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं छोटे छोटे काश्तकारों को गांवों से बहुत दूर जमीनें दी गयी है। न वहां सिंचाई के साधन हैं न और साधन है। जो उन्हें दो-चार एकड़ जमीन मिली है उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैदा नहीं कर सकते। उन को प्रायोरिटी के साथ सिंचाई के साधन मुहैया करने चाहियें। जब यह होगा, वहां कुंएं खुदेंगे तभी जा कर खेतिहर हरिजनों का उद्धार होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में जो कर्जे बांटे गये थे, जिन्होंने बैंकों से, कोआपरेटिव बैंकों से, तकावी का पैसा ले लिया था उनके बारे में मैं लोकल अखबारों में, प्राविसियल अखबारों में पढ़ रहा हूं कि उन की जमीनें उन कर्जों को वापस लेने के लिए नीलाम की जा रही हैं। छोटे छोटे और मध्यम दर्जे के काश्तकारों की दो-दो, चार-चार एकड़ जमीनें नीलाम हो रही हैं। क्योंकि वे कर्जा अदा नहीं कर पाये। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों की जमीनें नीलाम हो गई हैं उन से जमीन का मूलधन ले कर उन्हें जमीनें वापिस की जायें और जिन लोगों पर कर्जे बाकी हैं उन से ब्याज मुक्त मूलधन ले कर के उनकी जमीन कर्जों से मुक्त की जाए जिस से कि उन्हें अपनी जमीन के मालिकाना हक फिर से हासिल हो सकें; तभी जा कर उन का कल्याण हो सकता है।

हमारे पिछड़े समाज में आवास की समस्या है। यह बड़ी भीषण समस्या है। जब मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य था तब मुझे दक्षिण भारत जाने का अवसर मिला मैंने दक्षिण में केरल, कर्नाटक, आं

प्रदेशों में आवास की व्यवस्था को देखा। वहां की राज्य सरकारों ने सराहनीय व्यवस्था की हुई है। किन्तु उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि वहां इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में गांव के बाहर, बहुत दूर एक छोटी सी जगह में ये भाई रहते हैं जहां कुत्ता और सवार भी रहने को तैयार नहीं हो सकता है। ऐसी छोटी-छोटी जगह इन पिछड़े लोगों के लिये बनाई गयी हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जिन के पास रहने के लिये मकान नहीं है, उन के लिए सारे देश में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए और एक समान और एक तरीके से होनी चाहिये। तभी जा कर के हम इन पिछड़े लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम कर पायेंगे अन्यथा नहीं।

आम हरिजनों की बात तो दूर रही, जो सब से पिछड़े हरिजन हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जिन्हें हम बाल्मीकी कहते हैं, मेहतर कहते हैं, उन की हालत देख लीजिये। वे सार्वजनिक शौचालय की दीवार के साथ छप्पर या टीन डाल कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। पचासों जगह मैं ने ऐसा देखा है। तीस साल की आजादी के बाद भी अगर समाज का यह अंग जो हमारे सभ्य परिवारों की सफाई करता है, उन के मकान स्वच्छ करने में जुटा हो, उन्हें रोग मुक्त करने में जुटा हो ऐसे समाज के लोगों को हम ऐसी जगह पर डालें जहां पर बीमारी फैल सकती है, रोग फैल सकते हैं, जिस जगह से हम घृणा और द्वेष रखते हैं तो यह सर्वथा अनुचित है। इस की तरफ भी आप को ध्यान देना होगा। उन्हें शौचालय के पास छप्पर और टटिया लगा कर रहने की हम इजाजत देंगे तो इस को किसी भी अवस्था में उचित नहीं कहा जा सकेगा। आप ऐसी नीति बनायें ताकि सफाई कर्मचारियों को सार्वजनिक शौचालयों के नजदीक न रखा जा सके। अगर यह कदम उठाया गया तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा काम एक किया गया है।

बंधक प्रथा खत्म हो गई है देश में। लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि आज भी देश में जबरिया काम विभिन्न प्रान्तों में हरिजनों से लिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि शासन की मशीनरी चुस्त हो और ईमानदारी और निष्ठा के साथ वह काम करे और इस तरह की चीज को होने न दे और अगर होती है तो उस को समाप्त करे, कड़ाई से पग उठा कर इसका मुकाबला करे। नहीं तो आप के पास हरिजनों के साथ अत्याचार होने की घटनायें आती ही रहेंगी। कहीं पर बेलची कांड जैसा कांड होता ही रहेगा, हरिजन औरतों के साथ बलात्कार की घटनायें होती ही रहेंगी। मेरे पास कितनी ही कैटेगरीज की इस प्रकार की घटनायें रखी हुई है। जिन में हरिजनों के साथ अत्याचार और अन्याय, बलात्कार आदि की वारदातें हुई हैं। अगर आपने इस तरह की चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अखबारों में इन का उल्लेख आता ही रहेगा और तब आप हम लोगों को भले ही बोलने न दें। लेकिन सामाजिक वातावरण दूषित होगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे जालिम लोगों के साथ सख्ती बरती जानी चाहिये। ऐसा नहीं किया गया तो न हम बच पायेंगे और न ही आप बच पायेंगे। दोनों की बदनामी होगी। अगर समाज के कमजोर और दुर्बल वर्ग इसी तरह से दुखित और त्रस्त रहे और आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए तो, कांग्रेस तो चली गई है और हम भी नहीं बच पायेंगे। कोई भी बच नहीं सकेगा। फिर क्या होगा कोई भी भविष्य-वाणी नहीं कर सकता हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इंसान की, मनुष्य की, श्रमजीवी की, सर्वहारा की कराह—अगर कराह ईमानदारी और निष्ठा की है—निश्चित रूप से सारे देश को भस्मासात करें देगी। तब कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए आवश्यकत

[श्री राम लाल राही]

इस बात की है कि समय रहते आप चेतें, जो नारा आप देते हैं—गरीबों की रक्षा का, शोषणमुक्त समाज बनाने का, समाजवाद लाने का, उस नारे को आप साकार करें। हमको पिछड़े हुए वर्ग को राहत देनी पड़ेगी। हमारे बहुगुणा जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब उन्हों ने हरिजनों के लिए एक वित्त निगम बना दिया था और जो परम्परा सूअर पालने, मुर्गी पालने, बकरी पालने की थी उस को समाप्त कर के उन्होंने इस समाज के लोगों को भी समान स्तर पर लाने की कोशिश की थी, यह किया था कि ये लोग भी कोई भी उद्योग धंधा या व्यवसाय कर सकते हैं। और वित्त निगम से आज उन को सहायता और मदद इसके लिए मिलती है। मैं उन्हें आज इस सदन में इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जितना उन्हों ने अपने मुख्य मंत्रित्व काल में हरिजनों के लिए वहां किया शायद कोई ही व्यक्ति ऐसा हो जिस ने उस से अधिक किया हो या कर सके।

हमारे यहां हायर सर्विसिस को प्रतियोगिताओं में जाने के लिए इन के आयोजित होने से पहले ट्रेनिंग देने के लिए लखनऊ में एक सेन्टर बनाया गया था। उस सेंटर को डेढ़ दो साल काम करते हो गये हैं। वहां के कर्मचारियों को पता नहीं तनख्वाह भी मिल पाई है। या नहीं, यह जो स्थिति एक प्रदेश में है हो सकता है कि इसी प्रकार की स्थिति दूसरे प्रदेशों की भी हो। मैं चाहता हूं कि ये जो सेंटर चालू किए गए हैं ये केवल दिखावामात्र न रहें। इस समाज के लोगों के दिलों को जीतने के लिये अगर उन्हों ने दिखावे का रूप धारण कर लिया तो निश्चित रूप से आदमी की बुद्धि में जो परिवर्तन इन तीन सालों में आया है, वह कुछ सोचने समझने लग गया है, आप याद रखें कि वह अब दिखावे में आने वाला नहीं है। जो आप कहते हैं उसे आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इन पिछड़े हुए लोगों, सर्वहारा, शोषित, पीड़ित लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): Mr. Chairman, Sir, we have been listening with great interest and with a sense of distress to the speeches made by Members from both sides of the House on the conditions of Harijans, in this country. Yet full facts have not been given in the reports presented to the House by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They do not contain the events which have taken place after the Janata Party has taken over. One of the very senior Cabinet Ministers said recently in Chandigarh that the conditions of the Harijans have become worse after the Janata Party took over. Only a few members have dwelt on the atrocities committed on Harijans who have converted themselves from Hinduism to Islam, Buddhism and Christianity. I want to make it clear and to put it as vehemently as possible, that by conversion, their condition has not improved either socially or economically. There is no reason whatsoever as to why there should be discrimination against these people who are Harijans among the Harijans, the most oppressed among the oppressed. Even the Hindu Harijans do not look at them with kindness. They look down up these converts from Hinduism. The main argument to deny them the privileges of Scheduled Castes is that neither the Christian nor the Muslim nor the Buddhist religion recognises the caste system and hence the question of any of these classes of converts being included among the Scheduled castes does not arise.

The first thing I would like to say is that it is a quite a debatable point as to whether the Hindu religion itself recognises the caste system. It has been said by many authorities

that the concept of caste is not inherent in the Hindu religion. The caste system is said to be a phenomenon. There cannot be any doubt that there is no caste system recognised by Sikh religion. Yet though the Sikh religion does not recognise the caste system, the weaker sections of the Sikhs are being protected as Scheduled Castes. The neo-buddhists who are the most progressive and most dynamic segment of the Harijans and they converted themselves to buddhism after the death of their mentor, Dr. Ambedkar. At that time, in 1957 or so, they were derecognised from the Scheduled Castes and all the privileges were withdrawn.

I should like to say that we are living in a country which is basically and genuinely a secular State. Though 80 per cent of our population consists of Hindus we have a Constitution with a truly liberal attitude towards all the religions. Yet, this discrimination on the basis of religion when it comes to Scheduled Castes is a great blot on the prevasive secular spirit and tenor of our Constitution, and of our Society as a whole.

Sir, there is no reason whatsoever why the neo-Buddhists should not be granted the privileges which are available to the other members of the Scheduled Castes. This is discrimination, I will say it again and again. This is a discrimination on the basis of religion. This is a diserimination, I will say it again with my limited knowledge of law, contravenes Article 15. Apart from law, I should say this is against the secular spirit of the nation to which we all equally belong.

The neo-Buddhists had to wage a very long and grim struggle to get some benefits in their home State of Maharashtra. These benefits had been snatched away from them by the then Maharashtra Government when its then Chief Minister was the one whom we are fortunate to have as our Prime Minister today. They waged a very great struggle and ultimately they had succeeded in getting all the benefits that the Maharashtra Government could give them and now they are recognised as a backward class and all the benefits available to backward classes are available to neo-Buddhists in Maharashtra.

Now the problem concerning neo-Buddhists is in the hands of the Central Government. There are substantial privileges in the matter of reservation of jobs available to Scheduled Caste. Thirty-four per cent of the Government jobs are reserved for Scheduled Castes and the neo-Buddhists deserve a quota in these jobs. In other words, the entry into this quota must be available to them. A couple of months ago a letter was written by the veteran Buddhist leader from Maharashtra, Mr. Rajbhoj to the hon. Prime Minister demanding that the facilities which are available to Scheduled Castes should be available to neo-Buddhists also. The Prime Minister very promptly passed on that letter to the Home Minister and the matter is now pending with the Home Ministry.

The other day we saw some young men in the public gallery of Lok Sabha shouting some slogans; such acts cannot be justified, but then putting them in jail is not going to solve any problem. We have to look at the cause and the cause is deep frustration. It is utter frustration and utter despair and this despair is manifested in whatever neo-Buddhists are doing today. If they do not succeed by persuation, they will believe that only with force and violence they can succeed. What I say about neo-Buddhists is on the basis of a principle, the principle that there should never be discrimination on the basis of religion. And then I must submit that these benefits must be extended also to the weaker sections of the Muslim community and the Christian community.

SHRI L. K. DOLEY (Lakhimpur): qually to Buddhists also?

SHRI EDUARDO FALEIRO: First nd foremost to the Buddhists and hen to the other communities. Neither the Muslim religion nor Christianity believe in caste but religious belief is one thing and practice is another. Among Muslims there are some sections which are said to be superior castes and there are other sections which constitute the so-called inferior castes. In Muslim community, Sheikhs, Pathans, Mughals and Syeds are some of them higher castes and they do not have any social intercourse with the so-called lower castes. This is the actual position. About Christianity no one can say anything better than I because I belong to that community. In Goa, Christians are the converts from Hinduism and Muslim religion. We have changed the religion but we are Indian Christians. In Goa, there are so called Brahmin Christians, Kshatriya Christians and Sudra Christians. This may appear to be funny to you, but it is true. Brahmin Christian is a contradiction in terms, but it is a social reality in Goa, Mangalore and other places. The divisive forces of caste here in these areas are stronger than the divisive force of religion.

Even in the temples of God, *viz.*, churches, till very recently separate seats were being kept for the so-called caste Christians and the so-called Harijan Christians in South India. In South India, the caste differences among Christians are as deep and as strong as they are in the Hindu society. Several leaders of the Christian community have represented this position to the Government. The matter is pending with the Government and it is for them to take a decision as early as possible.

The whole House should express its appreciation for the recent gesture of the Chief Minister of Tamil Nadu. He has promised to extend all the privileges available to the Hindu Harijans to the Christian Harijans also. This will benefit 11 lakhs of people in that State. This step must be followed by the Central Government also. We are not doing any favour to the weaker sections by making reservations. They are their right. Those people were deprived of them for hundreds of years. When doing this don't discriminate on the basis of religion. The argument sometimes adduced is that foreign missionaries are helping the Harijan Christians, and as such they do not require any help. It is said that foreign money is coming to help them. It is not coming. As far as the Portuguese were concerned, they could not help their own people. They could only take things from Goa, but not bring in anything to give to the Goanese.

My plea is this: if you wish to maintain the secular character of the country—which has always been there as a shining example to the entire world —all the benefits available to the Hindu Harijan should be extended first and foremost to the neo-Buddhists who are recent converts, and who have converted on a matter of principle and also to the Harijans professing other religions. Government seems to be paying lip service to the principle of abolition of the caste system. But the present system is putting a premium on the maintenance of the caste system itself. If a person is a Hindu Harijan he will get all the benefits; but if he converts to Christianity or Neo-Buddhism, all the benefits are withdrawn immediately. By such acts you punish those who want to abolish caste and get away from it. I once again appeal to the conscience of this House to extend all the benefits available to the Scheduled Caste to the neo-Buddhists before their struggle became a violent one as well as to

the weaker sections of other religious groups.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Mr. Chairman, Sir, when I am participating in the debate today, I have a feeling of great distress and sorrow, because of the fact that during these last 30 years of independence, whether this party is in power or the other party is in power, we have not been able to do much in terms of concrete measures for removing this black spot from our country. What we have been doing for the last thirty years is a kind of patch work. We did not go down to the deep malady, the deep root of the problem. Unless we tackle the problem at its roots, I am afraid this patch work will not go on for ever, it will not last at all.

The short of indifference to this problem is in a way reflected in the kind of debate that is taking place. Look at the motion moved by the Railway Minister. It talks about the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72, 1972-73 and 1973-74. In 1977 we are discussing the reports of the Commissioner which are five years old. Of course, the credit must go to the Janata Government that they have at least brought up for discussion these reports in 1977. For the last four or five years this Parliament, unfortunately, had no time to discuss some of these basic issues connected with India's social, economic and political maladies and we seemed to be discussing all kinds of short-lived issues, issues which have no relevance for the present day. This is the tragedy of the situation, and it is aggravated further that this discussion is taking place after four or five years. It is also truncated, partly last session and partly this session.

SHRI L. K. DOLEY (Lakhimpur): On a point of clarification. This is a question which is facing us not for 30 years but for the last 300 years or more.

PROF. P. G. MAVALANKAR: My hon. friend is taking of 300 years. I can go back to 3,000 years, because I am also a student of history. But that is not relevant. What is relevant is, after we became independent as one nation, what have we done to remove the cast barriers? As I was telling you, I want to go to the root of the problem and try and see how to tackle the problem effectively and in time. From that point of view, I want to address myself to some of the very fundamental points in the limited time at my disposal.

First of all, let us take note of the spate of atrocities on harijans during the last seven or eight years, which is something unprecedented. Anybody would be ashamed of the fact that there is a continuous phenomena of first class citizenship, second class citizenship and so on. What is more, even among the second class, there are some who feel that some others should be in the third class, and in the third class some feel that some others should be in the fourth class. They have got this idea of keeping somebody else below them so that if somebody above them exploits them, they can have their revenge on somebody below. It really affects us all. It is a national problem which has to be solved from a national angle.

Apart from the atrocities, look at the dismal conditions of the harijans, girijans and the backward classes. In this great and ancient country of India there are millions of people who do not belong to either Scheduled Castes or Scheduled Tribes but who are still backward. They are called by the name "Other Backward Classes". If you total up the Scheduled Castes, Tribes and Other Backward Classes, it will come to a sizable number and I wonder what remains of India! They are in a very backward and dismal condition. They know only of disease, hunger, squalor, illness and death. It is a living hell! The tragedy is that this living hell is something which we are tolerating, because for the last 30 years we have

(Prof. P. G. Mavalankar.)

become almost insensitive to what is happening around us.

We do not want to take any bold and conerete steps. In a large number of villages Harijans cannot have their buckets filled with water, if buckets they have, because they cannot go to the same well and take water out of it.

After this rather long and distressing backgrond and preface. I want to say that the Janata Government must now take courage in both hands and adopt certain bold and innovative policies and take certain urgent steps on the basis of such policies. It is no use making patchwork provisions of reservations etc. That, of course, is good up to a point, but not beyond that. Even the scheduled castes and scheduled tribes who get certain advantages out of this reservation, after having got it, tend to forget that others of the same classes, their own brothers and sisters, have been denied all these privileges. Therefore, let us not create another new class of reservationist scheduled castes, reservationist scheduled tribes etc. What we want is a general kind of equality, equality of opportunity for all.

What can we do to achieve it? Of course, the Scheduled Castes Commissioner is there, but if I may suggest, Government must think of appointing a special commission of knowledgable and seasoned people belonging not only to the Harijan community but to all sections, to go into the whole problem and make recommendations to the Government in terms of concrete proposals as to what should be done for removal of these maladies and agonies at their very root. If that is done, I am sure we shall be taking a great stride.

I also want to give a warning which is coming not only from awakened caste Hindus—who are unfortunately very few, who believe in a casteless if not a classless society and equality —but from the fully or partially awakened scheduled castes and scheduled tribes who are now getting more and more literate, more and more educated. They are not going to keep quiet now. The new youth among the Harijans and Girijans are now giving us a red signal, and if we do not pay heed to this the Dalit panthers and others will cease to have faith in the parliamentary and democratic institutions and will begin to believe that perhaps not through democratic means but through others means only a revolution can take place. It is for us, therefore, to see that that kind of frustration and lack of faith in our existing political institutions to create a revolution of a fundamental type, what Shri Jaya Prakash Narayan calls total revolution, does not grow. We should do this if we want to win the confidence of all the scheduled castes and scheduled tribes and the socially and politically oppressed and depressed people of this vast country, India's teeming millions about whom Dr. Bool Chand had written a book quite a long times back, and who are increasing in numbers every day. The tragedy of the situation is that these teeming millions are living below the poverty line. Therefore, the administration—here comes the Home Minister and his colleagues—at the Central level must give an object lesson to all the State Governments in the country.

One difficulty is that the officials—the Home Minister may note this—including bureaucrats and police at various levels are caste Hindus and when it comes to implementing Government decisions their own prejudices and angles are brought in, and even though Government at the policy level wants to do certain things, they refuse to implement the orders.

It is here that the administration must become stern and must see to it that the officials and the police implement these orders as effectively and honesty as possible.

One finds increasingly certain bullying and aggressive tactics of the caste Hindus, particularly in the rural areas. In urban areas, comparatively, the position is slightly better.

But in Rural India the caste Hindus, wherever they are, have adopted tactics of bullying and tactics of aggression. That is why, you have this spate of atrocities.

Then, coming to law and order problem, let us not forget that this is also an economic problem, an educational problem, a social welfare problem, a culture development problem. In fact, it is a multi-faceted problem, and so this has to be tackled from all these angles.

Coming to the question of reservations, the purpose and practice of reservations have been to a large extent, fulfilled. The purpose and practice of reservations were laid down in the Constitution by no less a person than Dr. Babasaheb Ambedkar and no less a person than Pandit Jawaharlal Nehru. I do not think Dr. Ambedkar laid it because he was a Harijan. They were doing this job because they were guided by the spirit and message of Mahatma Gandhi; they were guided by the practices and precepts of Mahatma Gandhi: What are the practices and precepts? These practices and precepts are: All men are our brothers. If that is so, then some of our brothers who are backward and behind, they must be given weightage—weightage in admissions in universities and colleges, weightage in employment. But wherever there are technical jobs of expertise, please do not relax reservations for Harijans and Girijans on that basis because that involves inefficiency, insecurity, damage to life and property also. If Harijans and Girijans are not coming up to the level of technical education, give them additional facilities to get such education. That is why, I am saying that this is a problem of education.

About this whole matter, I can also look at it from another angle, namely that this problem is a problem of arrogance on one side, ignorance on the other and prejudice in between! On one side, there is the arrogance of those who are in power—social, economic, political, financial and monetary power—and on the other there is the ignorance of vast teeming, millions who do not know what their rights are. Therefore, we have to tackle this problem from the point of view of eliminating arrogance, removing ignorance and trying to get rid of prejudices through persuasion.

Our friends and fellow-countrymen, who are Harijan and Girijans, must also take courage in their hands through education and see to it that they do not have inferiority complex. I do not want them to become violent. I want my friends my brothers and sisters of SC & STs, to become intellectually militant, not violently militant. I want certainly this intellectual militency on the part of these people to assert their rights and once that is done, the public opinion will be created and when this public opinion is created, such a conscious and cultivated public opinion will see to it that these matters are effectively dealt with.

Let us, in conclusion, touch a few other important aspects of the matter. Acute economic conditions of SC & ST have to be looked into and have to be removed. Therefore, the whole problem of reservations employment, conditions of Harijans and Girigans, has to be looked into and tackled with education and economic welfare measures. The Home Minister here must take advantage and assistance of his colleagues the Minister of Finance and the Minister of Education. The Minister of Finance must never say 'no' so that we have enough funds for the betterment of these people. They must pour in lots and lots of funds purposefully and meaningfully in the next couple of years, may be in the next couple of decades. Only then we can solve this massive problem.

The Government's role in todays India is undoubtedly, positive, assertive and massive. But if Government's role is massive, positive and assertive, no less positive, assertive and massive is the role of voluntary agencies doing the work in political,

[Prof. P. G. Mavalankar]

social, cultural, educational and other matters, and fields and no less important is the role of an enlightened individual who will go on striving for social reforms. Where are today men like Dhondo Keshav Karve? Where are the Jyotiba Phules? Where are the Dadabhai Naurojis? Where are the Tilaks and Gokhales? Where are the people who will look into the welfare of Harijans and Girijans?

The trouble is that we look at the problem only from a short-lived angle of getting votes. You may get the votes of Harijans. But by getting the votes of Harijans, you do not necessarily bring about their welfare. The welfare of Harijans and Girijans is much more important. Some of us must have the courage to look beyond shortterm purpose and have a long-term policy. If we do that, then we can have social reforms—I may say in Hindi, *roti beti* and *vyavahar*. We must encourage people to have inter-caste marriage, inter-provincial marriages and inter-religion marriages. When that happens, this country will have a certain new Indianness. When the people go to America from all parts of the world, they begin as Norwegians, Swedish, Chinese, Tibetans and so on and, after they go there, they forget that they are Norwegians or Swedish or Chinese or Tibetans. They are all Americans. The same thing is with Russia, Britain and other big countries Why can't we have the same thing in India? No matter from which part of India the people come, from which caste or religion they come, they are, first and last, Indians. That can happen only with education and persuasion. That must be the role of awakened individuals and enlightened souls.

With these words, I ought to say that it is not sufficient that this matter could be discussed in one debate nor can it be adequately discussed in one debate. It is an important and fundamental matter. Let us go to the root of the problem. Let us begin effectively, purposefully, sincerely and earnestly. If we do that, I am quite sure posterity will have no chance to say that we have failed in our mission today.

श्री लखन लाल कपूर (पूर्णिया) : सभापति महोदय शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्टों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की चर्चा इस सदन में सैकड़ों बार हो चुकी होगी और एक रस्म अदायगी के तौर पर यहां पर बहस हो जाती है और फिर इन रिपोर्टों की सिफारिशों को अमलीजामा पहनाने की कोशिश नहीं की जाती और वे एक तरह से कोल्ड स्टोलेरेज में डाल दी जाती हैं।

आज हम इस कमीशन की बीसवीं, इक्कीसवीं और बाइसवीं रिपोर्टों पर बहस कर रहे हैं। ये 71–72, 72–73 और 73–74 की रिपोर्टें हैं। इसी से पता चलता है कि 71 से 77 तक इन छः वर्षों तक हमें इन पर चर्चा करने तक का कष्ट नहीं उठा पाये। इसलिए यह मान कर चलना पड़ता है कि समाज के जिन अंगों के विषय में यह सदन चर्चा कर रहा है, उन को काफी महत्व नहीं दिया जा रहा है। अगर महत्व दिया जाता तो जब से यह कमीशन बहाल हुआ, तब से 1954 से चार हजार से ऊपर रिकमण्डेशंस आयी हैं उन में से कितनी पर सरकार ने अमल किया, यह हम सरकार से जानना चाहेंगे। जिन के विषय में कमिश्नर ने सिफारिशें कीं, हिदायतें दीं समाज के उन दबे हुए अंगों को सरकार ने कितनी सहायता दी? 15 अगस्त, 1947 को हम आजाद हुए, भारत की जनता हजारों बरसों की गुलामी के बाद आजाद हुई। हम यह मान कर चल रहे थे कि हम सब आजाद शहरी हैं, आजाद इंसान की तरह भारत में संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के अनुसार हमारे लिए जीने की व्यवस्था होगी, अमन चैन से हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, सब को

समान अवसर मिलेंगे और समानता के आधार पर समारी समाज की रचना होगी। लेकिन इस बात को पिछली सरकार ने मानने से इंकार किया है कि भारत में भारतीय समाज के कई ऐसे अंग हैं जो अब भी परतन्त्र हैं या गुलाम हैं। विदेशी लोगों ने बार बार इस चीज को कहा है कि आप के यहां अभी भी गुलामी की प्रथा चल रही है लेकिन सरकार ने बार बार इस से इन्कार किया है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट में जब यह बात आई कि भारत में एक दो नहीं लाखों लोग बंधुआ मजदूरों के नाम से गुलाम हैं तब जा कर भारत सरकार ने इस को स्वीकार किया। कितनी लज्जा की बात है। तीस बरस हो गये हैं, एक पूरी पीढ़ी ने अपनी जिन्दगी गुलामी में व्यतीत कर दी है, वह पीढ़ी समाप्त हो गई है लेकिन वे गुलाम आजाद मुल्क में भी गुलाम रह कर ही मरे। इमरजेंसी के दौरान में इसी सदन में बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया था जिस में उन को मुक्त कराने की व्यवस्था की गई। जो वस्तुस्थिति है उस की तरफ हम को ध्यान देना पड़ेगा। जो हालत आज भी विद्यमान हैं उस के कारण हमारे देश में शान्ति और व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है और केवल शान्ति व्यवस्था ही नहीं बल्कि जिस लोकतन्त्र के लिए हमने अपनी जद्दोजहद की है, लोगों ने फांसी के तख्तों को चूमा है, जेल की चार दीवारी में अपनी जवानियों को जलाया है, हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं वह लोकतन्त्र भी आज खतरे में है। कब तक यह स्थिति चलती रहने दी जा सकती है ?

आज देखें कि शोषित, पीड़ित और दलितों अर्थात् हरिजन आदिवासी की संख्या 25 प्रतिशत है। एक चौथाई ही नहीं बल्कि काका कालेलकर साहब ने अपनी रिपोर्ट में चार हजार जातियों का वर्णन किया है, उनके जीवन का वर्णन किया है और बताया है कि उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर हरिजनों और आदिवासियों से भी बदतर है। 1953 और 1955 में बैकवर्ड क्लास कमिशन रिपोर्ट में जो रिपोर्ट उन्होंने दी और जो सदन में भी पेश हुई, उसकी सिफारिशों पर आज तक अमल नहीं किया गया, एक भी मुद्दे पर अमल नहीं हुआ। मैं समझता हू कि भारत में नब्बे प्रतिशत लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है और जानवरों की तरह रह रहे हैं। मुट्ठी भर लोग जो सुविधा प्राप्त लोग हैं उनके चरणों के नीचे वे दबे हुए हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है, और मैं समझता हूं कि एक भंयकर बगावत की चिंगारी पैदा हो रही है, उनकी आत्मा आज चीख रही है, पुकार रही है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि अस्पृश्यता गरीबी तथा अज्ञानता जैसी कुरीतियों के प्रति, जिस जनता का एक—बहुत बड़ाभाग—प्रभावित है, सामाजिक चेतना तभी उत्पन्न की जा सकती है जबकि बड़े पैमाने पर लोग स्वेच्छा से इस दिशा में प्रयत्न करेंगे। जब तक हमारे समाज में गरीब और पददलित लोगों के प्रति अमानवीय भेदभाव मौजूद है तब तक भावात्मक एकता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के लिये किये जा रहे हमारे सभी प्रयत्न बेकार साबित होंगे।"

मैं पूछना चाहता हूं कि इस दिशा में हमने क्या किया ? जिस अवस्था को देख कर महात्मा गांधी ने कहा था आज 30 वर्ष बाद भी वही अवस्था मौजूद है। क्या यह हमारे लिये लज्जा की बात नहीं है ? आज उससे बदतर हालत हमारे यहां है। आये दिन लोगों को जिन्दा जलाया जा रहा है घर में घुसकर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को, हरिजनों को, पिछड़ी जाति के लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। और उस के ऊपर एक छोटा कमीशन बहाल हो जाता है

[श्री लखन लाल कपूर]

जिसकी रिपोर्ट आ जाती है जो दफ्तरों की अलमारियों में बन्द कर दी जाती है ।

आज मैं सदन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आज जो भयंकर स्थिति है, जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है इसके खिलाफ़ बगावत की तैयारी करें । वह चाहे शांतपूर्ण ढंग से हो या अहिंसात्मक ढंग से हो । हम चाहेंगे शांतमय हो । लेकिन अगर इसी तरह रोके जाने का अधिकार छिन जाता रहा तो पता नहीं क्या रूप लेगा । इसलिये बाबा साहब अम्बेदकार ने कहा था :

"हम 26 जनवरी, 1950 को एक ऐसे जीवन में पदार्पण करने जा रहे हैं जो अन्तर्विरोधों से भरा हुआ है । राजनीति की बुद्धि से हम में समानता होगी, किन्तु सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता के शिकार होंगे ।" और शिकार हैं । "राजनीति में हम एक आदमी के लिये एक वोट और एक वोट के मूल्य का सिद्धान्त अपनायेंगे, किन्तु हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन की, हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे की वजह से हर आदमी एक ही मूल्य के सिद्धान्त से वंचित रहेंगे।" और हम वंचित हैं । "हम कब तक अन्तर्विरोधों का यह जीवन अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से वंचित रहेंगे ? यदि हम बहुत दिन तक इन से वंचित रहेंगे तो अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल कर ही ऐसा करेंगे । हमें इस अन्तर्विरोधों को यथाशीघ्र दूर करना चाहिये, अन्यथा असमानता के पंजे में जकड़े लोग इस राजनीतिक ढांचे को चकनाचूर कर देंगे जिसे इस विधान सभा ने बड़े प्रयत्न से खड़ा किया था ।"

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं बेलची कांड हो गया, और भी दूसरे कांड हुए हैं । लेकिन ज्यों ज्यों दवा की जा रही है मर्ज बढ़ता ही जा रहा है । इसके पीछे कारण क्या है ? जो आये दिन हत्यायें हो रही हैं, दंगे हो रहे है, इसके पीछे कारण क्या हैं ? आज ला ऐंड आर्डर कमजोर क्यों पड़ रहा हैं ? महसूस करना पड़ेगा कि उन में आज चेतना आ रही है । जो दबा हुआ तबका है उसमें चेतना आयी है अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करने के लिये । और जो तत्व उसका शोषण कर रहा है, जिनकी कमाई पर वह गुलछर्रे उड़ा रहे हैं उनके सामने यह खतरा है । इसलिये वह चेतन्य हो कर और सामूहिक तौर से उन्हें दबाना चाहते हैं, और लाठियों और गोलियों के बल पर दबा देना चाहते हैं । नहीं तो यह घटनायें क्यों होतीं ? 10 अक्तूबर को भोजपुर जिले के धरमपुरा में एक घटना हुई । जब कोई बात होती है तो पुलिस की रिपोर्ट में, मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में या कमीशन की रिपोर्ट में एक ही तरह की बात लिखी जाती है क्योंकि वह लोग जिनके हाथ में शासन की बागडोर रही है, बराबर राजनीतिक अधिकार रहा है वही लोग इन रिपोर्टों को लिखते हैं, और जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको कहते हैं कि यह गुंडे हैं, ये चोर, डकैत और क्रिमिनल हैं, और ऐसा कह कर सारी बातों को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है । वहां पर एक महंत की ज़मीन पर एक हरिजन पट्टेदारी कर रहा था, जिस को वह बदख़ल करना चाहते थे । उस हरिजन ने सरकार को प्रार्थनापत्र दिया कि हम अपने बाप-दादा के समय से इस ज़मीन को जोत रहे हैं, इस लिए यह ज़मीन हमारे नाम पर लिख दी जाय । लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यह झगड़ा बढ़ता रहा । एक दिन अधिकारियों और पुलिस की कनाइवेंस से समहंत महोदय गुस्से में उठे और अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए रास्ते या मैदान में नहीं, बल्कि जिस झोंपड़ी में वह हरिजन रहता था, उस में घुस कर

गोलियों से पांच आदमियों को धराशायी कर दिया। जब इस के विरुद्ध आरा शहर में जलूस निकाला गया, तो पुलिस ने उस जलूस को भंग कर दिया, लाउडस्पीकर छीन लिया, लोगों को लाठियों से पीटा और गिरफ्तार किया।

धरमपुरा में दो तीन दिन बाद बेगूसराय ज़िले के मटिहानी गांव में एक हरिजन को मार कर जला दिया गया। यह समाचार अखबारों में छपा है और सरकार के पास इस की रिपोर्ट आई है।

इसी तरह भोजपुर ज़िले के सहारखंड में एक मजदूर को मार दिया गया। 6 नवम्बर, 1977 को भागलपुर ज़िले में पीरपैंती के निकट गौरीपुर गांव में एक संथाल को, जो बरसों से ज़मीन जोत रहा था, उस ज़मीन से बेदखल करने के लिए ज़मीन-मालिक ने गोली से मार दिया--उसी खेत में मार दिया, जिसे वह जोतता था, और उसकी लाश को खींच कर अपने खेत में ले आया। पुलिस खड़ी यह सब कुछ देखती रही, और अब भी वह उस का साथ दे रही है।

गृह राज्य मंत्री को इन घटनाओं के तथ्यों का पता लगाना चाहिए। बिहार के मुख्य मंत्री, श्री कर्पूरी ठाकुर, और संसद-सदस्य, श्री रामानन्द तिवारी, ने इस सम्बन्ध में बयान दिया है।

जनता पार्टी की सरकार को यह सोचना होगा कि यह सामाजिक तनाव और आर्थिक शोषण बुनियादी तौर से कैसे खत्म होगा। पिछले तीस वर्षों में यही होता रहा है कि संसद ने कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस कर के अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। अब इस की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

17.05 hrs.

ये झगड़े क्यों होते है? इस के चार कारण है। जब तक इन चार कारणों को दूर नहीं किया जाता है, तब तक न तो शान्ति और व्यवस्था कायम होने वाली है और न ही ग़रीबों को निजात मिलने वाली है। ये सब झगड़े ज़मीन को ले कर होते है। यह एक आर्थिक संघर्ष है, जिसे क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष कह सकते हैं। हमारे देश में वर्गों का अस्तित्व इस लिए है कि सम्पत्ति के बंटवारे में असमानता तथा विषमता हैं। यहां 90 फ़ीसदी लोग धनहीन है और 10 फ़ीसदी लोग धनपति है। जो आदमी कुंआं खोदता है, वह प्यासा क्यों है? जो आदमी जमीन जोतता है, अनाज उत्पन्न करता है वह भूखा क्यों है? जो आदमी जमीन जोतता है वह भूमिहीन और जो जमीन नहीं जोतता है वह भूमिपति। जो कपास उगाता है, कपड़े बनाता है वह तो नंगा रहता है और जो यह सब कुछ नहीं करता उस की अलमारियों में रेशम के कपड़े पड़े सड़ते रहते हैं। ये बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें जो मजदूर बनाते हैं, जो सिर पर ईंट, चूना, गारा, पत्थर ढो ढो कर ले जाते है वे तो रहते हैं दरख्त के नीचे अपने बाल बच्चों के साथ और ये बड़े बड़े लोग इन एयर कंडीशंड मकानों में, शीश महलों में रहने है। यह जंगली व्यवस्था कब तक चलती रहेगी? इसलिए मेरा निवेदन है कि बटाई दारी का कानून आप को बनाना पड़ेगा। अगर वह कानून बना है तो उस को लागू करना पड़ेगा। बटायीदारी का कानून लागू किया जाय। मुफ़्तैदी के साथ लैंड टु दि टिलर, अर्थात जो जमीन को जोतने वाला है उस को उस जमीन का मालिक बनाया जाय। इस के लिए आप को कदम उठाना पड़ेगा।

दूसरी बात--मजदूरी के लिए झगड़े होते हैं। आप ने मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट बनाया है। उस के हिसाब से मिनिमम वेजेज़ उन को नहीं मिलते है। इसलिए मजदूरी के लि

[श्री लखन लाल कपूर]

झगड़े होते हैं जिस से गोलियां चलती हैं और घरों को आग लगायी जाती है । तीसरा कारण है बास गीत भूमि की और एक यह बड़े अफसोस की बात है कि पौने छः लाख गांवों में पौने दो लाख गांव ऐसे है जहां पीने का पानी भी नहीं मिलता हैं । यह शर्म की बात है । पांच पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहां चलीं । 70 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए और ये बेचारे जो रात दिन मेहनत करते हैं, दुनिया को बनाते, सजाते और खिलाते है उन के लिए एक गिलास शुद्ध पीने के पानी का हम इंतजाम नहीं कर सके । यह लानत है भारत के समाज पर ।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि होम स्टेड लैंड के ऐक्ट को मुश्तैदी के साथ लागू करना पड़ेगा । इन को घर बना कर देना पड़ेगा । होम स्टेड लैंड देना पड़ेगा ।

पांचवीं बात टेनेंसी ऐक्ट की है । यह जीर्ण शीर्ण टेनेंसी ऐक्ट अंग्रेजों के वक्त का चला आ रहा है । उस टेनेंसी ऐक्ट के पन्नों को फाड़ कर फेंकना पड़ेगा, नयी व्यवस्था करनी पड़ेगी । अगर नयी व्यवस्था कायम करनी है, सामाजिक तनाव दूर करना है, आर्थिक विषमता को मिटाना है, उन को राजनैतिक अधिकार देना है तो टेनेंसी ऐक्ट में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा ।

इसी तरह से पुलिस और मजिस्ट्रेसी में कौन है ? उसी शोषक वर्ग से लोग उस में आते हैं । प्रधान मंत्री से ले कर नीचे के वी डी ओ तक कौन है ? उन्हीं दस प्रतिशत लोगों में से है । आज तक इन लोगों को मौका नहीं मिला है पालिसी मेकिंग बाडी से आने का । पालिसी मेकिंग बाडी में कौन है ? वही है जो शोषण करते है, शोषक है । आप इन को जब तक पालिसी मेकिंग बाडी में शामिल नहीं करेंगे तब तक इन के जीवन में परीवर्तन नहीं होने वाला है ।

इसी तरह जो सी आर पी सी और आइपीसी के एविडेंस ऐक्ट है वे बहुत पुराने हैं । आज इन के मातहत उन बेचारों पर जो अपना हक मांगते है तरह तरह के मुकदमे कर दिए जाते हैं । दो चार मुकदमों में जाते जाते इन का दम टूट जाता है । इन को क्रिमिनल डकैत और पाकेटमार करार देते है । इसलिए आज एविडेंस ऐक्ट में, और सी आर पी सी तथा आई पी सी में परिवर्तन करना पड़ेगा । वर्तमान एविडेंस ऐक्ट में क्या हैं जिसके जिस आदमी की हत्या कर दी जाती है उसे ही सबूत पेश करना पड़ता है? वह अपने बचाव के लिए गवाही नहीं देगा बल्कि जिसकी हत्या की है उस को पेश करना पड़ता हो कि उस की हत्या हुई है । बेनीफिट आफ डाउट भी हत्यारे को ही दिया जाता है । यह कैसी बात हुई ? इसलिए इस में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा । सी आर पी सी और आइ पी सी में परिवर्तन करना पड़ेगा और लोगों को उन का सही सही जीने का अधिकार देना पड़ेगा ।

17.05 hrs.

[SHRI DINDRANATH BASU *in the Chair*]

श्री मही लाल (बिजनौर) : मैं आप के माध्यम से सब से पहले अपने गृह मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि वे अनुसूचित जाति और आदिम जातियों की दशा का अन्वेषण करने के लिए कोई आयोग बैठाने जा रहें है । उस के लिए वे बधाई के पात्र हैं । लेकिन इस सिलसिले में मैं एक बात आप से जरूर निवेदन करना चाहूंगा । मैं राज्य मंत्री जी के द्वारा अपनी भावनाएं गृह मंत्री तक पहुंचाना चाहूंगा कि यह आयोग इसी प्रकार का न हो जैसा कि पुलिस आयोग बैठाया गया ।

वे प्रशासक जो अंग्रेजी शासन के प्रशासक थें, जो गोलियां और डंडें चलाना जानते हैं, जिन्होंने गोलियां चलाकर जनता पर राज किया उनको यदि आप पुलिस कमीशन में बैठायेंगे तो क्या वे उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकगे ? मुझे उसमें पूरा सन्देह है । जो हमारे न्यायाधीश हैं उनके प्रति पूरा

सम्मान प्रदर्शित करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जजेज के सामने जो फाइल आती है उसी के आधार पर वे अपना फैसला देते हैं । यदि हम यह उम्मीद करें कि जज साहब कमीशन में बैठ कर हमारी जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे तो मुझे इसमें सन्देह है । जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व जनसेवी ही करेंगे जिन जन-सेवियों को आयोग में मौका नहीं मिला है । इसलिए मैं समझता हूं जिस बात को दृष्टि में रखकर यह आयोग बिठाये जा रहे हैं उसकी पूर्ति संदेहास्पद रहेंगी । मैं गृह राज्य मंत्री के माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों एवं जन जातियों के लिए जो कमीशन बिठाया जाये उसकी अध्यक्षता काका कालेलकर जैसे समाजसेवी, गांधियन थ्यूरी में विश्वास रखने वाले किसी नेता को सौंपी जाये । इसके अतिरिक्त इस सदन, उस सदन तथा सदन के बाहर के समाजसेवी जिनकी गांधियन विचारधारा रही है, जो वर्गविहीन समाज में विश्वास करते हैं, उनको आयोग का सदस्य बनाया जाये । यह सिश्वास करना कि रिटायर्ड जज साहब हरिजनों का बहुत बड़ा हित करेंग, मुझे इसमें सन्देह है । उन्होंने तो जीवन भर फाइलों के शब्द लेकर, गवाही देखकर फाइलों के आधार पर फैसले दिए हैं । उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है । उनसे हम यह उम्मीद करें कि वे दुखी पीड़ित जनता जो तीस साल की स्वतंत्रता के बाद भी दासता का जीवन बिता रही है उसको दूर करने के लिए कोई ठोस सुझाव दे सकेंगे मुझे इसमें सन्देह हैं । मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मेरी यह भावनायें गृह मन्त्री जी तक पहुंचा दी जायें ।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग की जिस रिपोर्ट पर बहस हो रही है वह 1971 से लेकर आजतक सदन के सामने नहीं आई । मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वही रफ्तार बेढ़ंगी जो पहले से चली आ रही है उसी रास्ते पर हम भी चलते रहें तो वह समस्यायें जिनको हम जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं और जो हमारे समाज पर एक कलंक है उसको हम कभी भी धो नहीं पायेंगें । इसलिए आपको पुराना तरीका और पुरानी रफ्तार बदलनी होगी । जिस ढंग से अभी तक हरिजनों की सेवा हुई है उसको बदलने के लिए जरूरी है कि या तो आप आयोग को बिल्कुल समाप्त ही कर दें और यदि समाप्त नहीं करना चाहते तो फिर जैसी जन प्रतिनिधियों की मांग है, आयोग को कुछ अधिकार दिये जायें । उसकी सिफारिशों पर किसी को दण्डित किया जा सकेगा या किसी को इनाम दिया जा सकेगा—यह शक्ति उसमें आज तक नहीं आई हैं । यदि आगे भी आपने ऐसे ही रखा तो एक कहावत है—दिखाने का तीहल बनकर रह गया है । कमिश्नर की पोस्ट जिसपर इतना रुपया खर्च हो रहा हो वह अगर बिल्कुल यूजलेस रहे तो मैं समझता हूं यह कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा ।

तीसरी बात यह है कि अब तक की रिपोर्टों में जो संस्तुतियां आई हैं, कृपा करके आप उनका संकलन करा लीजिए और उसके बाद विचार कीजिए कि उनमें से कितनी संस्तुतियां ऐसी है जिनको शासन ने कार्य रूप में परिणत किया है और कितनी संस्तुतियां अभी तक ऐसी शेष हैं जिनपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । उसके लिये समय-बद्ध कार्यक्रम बनाइये, टाइम-बाउन्ड प्रोग्राम को ले कर चलिये । हमें यह समस्या ज्यादा दिनों तक अपने समाज में कायम नहीं रखनी है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुसूचित जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मुझे दुख होता है—मैं आप को बता नहीं सकता कि मेरे हृदय की क्या गति होती है—जब मैं रिजर्व्ड सीट से चुन कर आता हूं । मैं नहीं चाहता हूं कि मैं रिजर्व्ड सीट से चुन कर आऊं, लेकिन राष्ट्र की इन परिस्थितियों के साथ मुझे

[श्री मही लाल]

अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है । मैं उन विचारों का हूं कि जितनी जल्द सम्भव हो सके, हमें अपने इस समाज के इस कलंक को धोना चाहिये । इस कलंक को धोने के लिये हम ने गांधी जी की समाधि पर शपथ ली है । गांधी जी ने हरिजन समस्या के सम्बन्ध में स्पष्ट किया था, उन का लेख मौजूद है, जो अपने को स्वर्ण कहते हैं, जो साधन-सम्पन्न हैं, व अपने परिवार में एक हरिजन बालक को रख कर अपने बच्चों की तरह उस को शिक्षा-दीक्षा दिलायें । मैं दूसरी तरफ़ की बात भी कहता हूं—जो हम में सम्पन्न और समर्थ है उन को सवर्ण वर्ग के निर्धन से निर्धन बालक को अपने परिवार में रख कर शिक्षा-दीक्षा दिलानी चाहिये । तब हम एक नया समाज बना सकेंगे और समाज के बीच में जो घृणा का वातावरण है, उस को मिटा सकेंगे, दूर कर सकेंगे । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है—सुबह से शाम तक हम गांधी जी का नाम लेते हुए नहीं थकते, जब बोलते नहीं थकते, वर्तमान शासन तो बिलकुल गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है—जब यह गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है तो आप मेरी इस भावना को गृह मंत्री जी तक पहुंचा दीजिये कि हमारे नेताओं को कम-से-कम एक हरिजन बच्चे को अपने परिवार में रख कर शिक्षा-दीक्षा दिलानी चाहिये ।

श्री धनिक लाल मंडल : आप स्वयं भी इस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी से मिल सकते हैं ।

श्री मही लाल : लेकिन इस समय तो आप उन का और पूरे शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । वे यदि यहां होते तो मैं उन से भी इन्हीं शब्दों में निवेदन करता ।

श्री डी० जी० गवई (बुलडाना) : हरिजन नाम को ही खत्म कर दो । जब तक हरिजन नाम रहेगा, तब तक जाति चलती रहेगी ।

श्री मही लाल : मैं आप की बात पर भी आता हूं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप दोनों सदनों की मूल्यांकन समिति जल्द से जल्द बैठाइये जो यह देखे कि आज क्या स्थिति हैं और अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के अन्दर दे । अब तक कितना कार्य हो चुका है, कितना शेष है और जो शेष है उस को हम कितने समय में पूरा कर सकते हैं । यह मूल्यांकन समति, दोनों सदनों के जनप्रतिनिधियों को अविलम्ब बैठाने की कृपा करें ।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के नाम पर अनुसूचित जातियां और जन-जातियों के लिये बहुत से कानून बना दिये गये हैं । इन कानूनों से अलमारियां भरी पड़ी हैं । अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना, दो-तीन बार उस में संशोधन हुए, लेकिन आज भी हरिजन मन्दिर में नहीं चढ़ सकता है, आज भी उस के लिये देव-स्थान बन्द है । तो इन कानूनों के बनाने से, आदेशों के निकालने से यह काम पूरा होने वाला नहीं है । आप की वर्तमान सरकार ने भी यह निश्चय किया है कि जहां-कहीं भी कोई अत्याचार या उत्पीड़न होगा, वहां के ज़िला अधिकारी और पुलिस कप्तान जिम्मेदार होंगे । क्या भारतवर्ष में किसी कलैक्टर या एस०पी० को आप के इस वर्तमान शासन ने कोई सज़ा दी ? नहीं दी होगी । आप एक और उदाहरण देखिये—देश की सभी सरकारों को बारबार यह आदेश दिया गया कि जो रिज़र्वेशन की उपेक्षा करेगा, उस अधिकारी को ब्लैक-एन्ट्री दी जायगी । लेकिन मैं समझता हूं आज तक शायद ही किसी को भूल से भी

बैंड-एन्ट्री मिली होगी । आज तक न किसी अधिकारी को बैंड-एन्ट्री मिली, न सजा मिली और न ही पदोन्नति की गई । तब फिर इस तरह के कानून बनाने से, गजट करने से, कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

कल, अधिष्ठाता महोदय, मेरे जिला मुरादाबाद का पी०ए०सी० का एक कांस्टेबिल मेरे पास रोता हुआ आया । उसने अपने अफसर का हुक्म मानने से इन्कार कर दिया था कि वह घर के बर्तन नहीं मांजेगा, कपड़े नहीं धोयेगा । उसको मुअत्तिल कर दिया गया । मैंने उसे डी०आई०जी० के पास भेजा, डी०आई०जी० बजाये इसके कि उसके साथ कोई न्याय करता, उसने कमरा बन्द करके उससे इस्तीफ़ा लिखा लिया । वह रोता हुआ मेरे पास आया । मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं । एक घटना गत वर्ष की मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग कालेज की है, जहां पर जाति के नाम पर दो सब-इंस्पैक्टरों में झगड़ा होता है । झगड़ा होने पर शेड्यूल्ड कास्ट का सब-इंस्पैक्टर जब बराबर में जवाब देता है, तो शेड्यूल्ड कास्ट के सब-इंस्पैक्टर को निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया जाता है और उसे ट्रेनिंग कालेज से निकाल दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है और उस सब-इंस्पैक्टर के खिलाफ़ जिसने जातीयता के नाम पर गाली दी थी, कोई कार्यवाही नहीं की गई । शेड्यूल्ड कास्ट का सब-इंस्पैक्टर आई०जी० और पुलिस मिनिस्टर के पास बराबर रोता रहा । मेरा विश्वास यह है कि जब तक आर्थिक विषमता नहीं मिटेगी, जब तक भूमि का बटवारा नहीं होगा, तब तक इस वर्ग का उत्पीड़न बराबर होता रहेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एक ब्राह्मण ग़रीब होगा और दूसरी जाति के लोग समृद्ध, धनवान और भूमिपति होंगे चाहे वह शेड्यूल्ड कास्ट के ही क्यों न हों, वह उस ग़रीब ब्राह्मण को दबा लेगा । आज यह प्रश्न विवादास्पद नहीं रह गया है कि भूमि किसी की बपौती नहीं है । भूमि ईश्वर की देन है और ईश्वर की देन पर हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है लेकिन आज जो बड़े-बड़े भूमिपति हैं, जमीनों के मालिक हैं, वे शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं, आज वे उन लोगों को ज़िन्दा जला रहे हैं, उन लोगों पर गोलियां चला रहे हैं और उनकी बहू-बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं । इसलिए मेरा कहना यह है कि आपकी पार्टी का, सरकार का यह फैसला होना चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी सम्भव हो सके, भूमि जोतने वालों के हाथों में दी जाए । जो भूमि पर काम करेगा, वही किसान है । बिरला, टाटा आदि किसान नहीं हैं और यहां तक कि मैं और श्री बलबीर सिंह भी नहीं हैं क्योंकि हम दोनों हल नहीं चलाते हैं ।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : आप नहीं चलाते होंगे । मै तो हल चलाता हूं ।

श्री मही लाल : जमीन का मालिक मैं भी हूं । हम हरिजनों के पास भी जमीन है और हम इसके बारे में जानते हैं ।

मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि बंगाल और केरल को छोड़ कर भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है । उत्तर प्रदेश ने भूमि व्यवस्था के बारे में कानून बनाए हैं जबकि हमारे देश के दूसरे प्रदेशों में इतने प्रगतिशील अधिनियम नहीं बने हैं जैसे उत्तर प्रदेश में बने हैं । उन अधिनियमों को बनाने का बहुत बड़ा श्रेय हमारे वर्तमान गृह मंत्री जी को जाता है जो वहां के माल मंत्री रहे हैं । सबसे पहले उन्होंने वहां पर 30 एकड़ की जमीन की सीलिंग रखी थी और उसके बाद उसको साढ़े बारह एकड़ कर दिया । कंसोलीडेशन्स आफ होल्डिंग्स के बारे में मेरा बराबर उनका साथ सन् 1952 से रहा है और

[श्री मही लाल]

भूमि के अधिनियम बनाने में बराबर उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है। मैं उनके साथ उनके सहायक के रूप में रहा हूं। चकबन्दी में उन्होंने यह व्यवस्था कर दी थी कि जब किसी गांव की चकबन्दी हो, तो हरिजनों की आबादी के लिए, विशेषरूप से उनकी आबादी के लिए जमीन वहां पर छोड़ी जाएगी और उत्तर प्रदेश में चकबन्दी के अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई थी कि छोटे किसान को गांव के पास ही जमीन दी जाएगी लेकिन चाहे आप जितने अच्छे कानून बना दें जब तक उन पर अमल नहीं होगा, तब तक हालत सुधर नहीं सकती है। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री रामलाल राही शिकायत कर रहे थे कि छोटे किसानों को गांव से दूर जमीन दी जा रही है। यह व्यवस्था अधिनियमों में है कि छोटे किसानों को गांव के करीब जमीन दी जाए और हरिजनों की आबादी के लिए जमीन छोड़ी जाए लेकिन उनके लिए जमीन नहीं छोड़ी जाती और छोटे किसानों को गांव के पास जमीन नहीं दी जाती। इस तरह से कानून, अधिनियम और सरकार के आदेश निरर्थक न हो जाएं, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आगे आप नए कानून बनाएं बल्कि जो आदेश और कानून बने हुए हैं, उनको मूर्तरूप दिया जाए और ठीक तरह से प्रैक्टिस में लाया जाए।

अब मैं नौकरियों में आरक्षण की बात कहता हूं। वह मैं जब कहता हू कि मुझे चिराग तले ही अंधेरा दिखायी देता है। शायद नौकरियों में लोक सभा सचिवालय में ही आरक्षण पूरा नहीं होगा, और किसी को बात क्या कहूं। स्टेट गवर्नमेंट्स की बात तो दूर रही, केन्द्रीय सरकार के विभागों में, उसको वित्त पोषित संस्थाओं में आरक्षण पूरा नहीं है। इन अर्धपोषित संस्थाओं की बात तो छोड़िए शासन के अपने विभागों में रिजर्वेशन पूरा नहीं है। यह आपको देखना होगा। माननीय राज्य मंत्री जी यह हरिजनों का मामला है, यह आपको देखना होगा कि यह सब विभागों में पूरा है, सब संस्थाओं में पूरा है या नहीं। और अगर नहीं है तो पूरा क्यों नहीं हुआ है?

यह कहे बिना मुझसे नहीं रहा जाएगा कि कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन का कानून पास किया। हमारे बड़े भाई श्री राममूर्तिजी वे इनसे सीनियर नेताओं ने कांग्रेस के कानून बनाने से पहले ही किसानों से मालगुजारी लेना बंद कर दिया। हमारे उन्नाव जिले के माननीय विश्वंभर दयाल त्रिपाठी और खुशवक्त राय ऐसी विभूतियां थीं जिन्होंने कांग्रेस के कानून पास करते ही किसानों से लगान लेना बन्द कर दिया। वहां हमारे कांग्रेस के ऐसे भी साथी थे जिन्होंने यह देखा कि सीलिंग का कानून पास हो गया है और सीलिंग में जमीन निकलने जा रही है तो हाई कोर्ट में जा कर उसके खिलाफ स्टे आर्डर ले आए और स्टे ले कर जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं।

बहुगुणाजी ने अपनी चीफ मिनिस्ट्री में यह तय किया कि गांव समाज की आठ फीसदी से कम जमीन भी अगर छूटी हुई है तो वह खेत मजदूरों को दे दी जाए। लेकिन जैसे ही श्री नारायण दत्त तिवारीजी चीफ मिनिस्टर बन कर आए, तो उन्होंने उस समय की प्रधान मंत्रीजी के इशारे पर यह फैसला कर दिया कि अब गांव समाज की जमीन

बांटी ही नहीं जाएगी। आठ फीसदी, पांच फीसदी या दो फीसदी की बात तो अलग है। चौधरी चरण सिंह के बनाए हुए कानूनों पर बहुगुणाजी ने अमल करना शुरू किया और कहा कि बेनामी खातों को मौके पर जा कर चेक करो, यदि कोई जमीन किसी के एक्चुअल पोजेशन में नहीं है। तो वह जमीन उसके नाम दिखा दी जाय जो कि उसे जोत रहा है। लेकिन इंदिराजी के लाडले नारायण दत्त तिवारीजी ने जो पहला काम किया वह यह था कि जो भी प्रगतिशील नीतियां थीं उन सबको खत्म कर दिया। जो जमीन सीलिंग में से निकल गयी थी उसको उन्होंने बंटने से रोक दिया।

माननीय मंत्री जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि भू-क्रांति किए बिना, जमीन जोतने वाले को मालिक बनाए बिना आप इस समस्या को हल नहीं कर पायेंगे। क्योंकि बहुसंख्यक हरिजन देहातों में रहते हैं और देहातों के लोगों का काम खेती करना है। वे खेती पर निर्भर करते हैं। चाहे भाई राममूर्ति जी की जमीन हो, चाहे भाई उग्रसेन जी की जमीन हो, उनकी जमीन का मालिक आप उस जमीन के जोतने वाले को बना दीजिए; इस समस्या का हल स्वतः होता चला जाएगा।

रेलवे मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं हैं। पता नहीं रेलवे राज्य मंत्री मेरी बात उन तक पहुंचा पायेंगे या नहीं। मैं रेलवे मिनिस्टर साहब श्री मधु दण्डवतेजी को बड़ा प्रगतिशील मानता हूं। लेकिन जो केन्टीनों के ठेके पहले शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को दिए जा रहे थे, उनके रहते हुए अब हरिजनों से वे दुकानें छीनी जा रही हैं और वे दुकानें स्वर्ण जाति के लोगों को दी जा रही हैं, वे ठेके उन लोगों को दिए जा रहे हैं।

अनुदानों का जो रुपया भारत सरकार राज्य सरकारों को देती है उस रुपए में से बीस प्रतिशत रुपए का भी सदुपयोग नहीं हुआ है और इस तरफ आपका खास ध्यान जाना चाहिए। जिस काम के लिए दिया जाता है उस काम में ही वह खर्च होना चाहिए। वह लैप्स भी नहीं होना चाहिए। शासन का मुझे भी थोड़ा सा अनुभव है। हरिजनों के लिए जो रुपया जिला परिषद् के पास गया मैंने देखा है कि जिला परिषद् के अध्यक्ष ने मिर्जापुर में श्री रूप नाथजी ने उस रुपए से अपने फार्म में क्वार्टर बना लिए और वहां ट्यूबवेल बनवा लिया। भिन्न-भिन्न प्रकार से उस रुपए का दुरूपयोग होता है। आप स्टेट गवर्नमैंट्स पर पाबन्दी लगाएं, चैक लगाएं, प्रजातंत्र बिना चैक्स और बैलैंसिस के कामयाब नहीं हो सकता है और अगर आप चैक नहीं लगाएंगें और राज्य सरकारों की इच्छाओं पर छोड़ देंगे तो फिर आप समझें कि स्टेट गवर्नमेंट्स में मंत्री लोग सब दूध के धुले हुए नहीं है, पैसे का दुरूपयोग होगा।

सभापति महोदय, मुरादाबाद और बिजनौर का मुझे निजी अनुभव है। हरिजनों को वहां पर जो जमीन के पट्टे दिए गए थे वे सैंकड़ों की तादाद में नहीं हजारों की तादाद में खारिज हो रहे हैं। एक-एक हरिजन पर जिसको पट्टा मिला है दस-दस मुकदमे बनाए जा रहे हैं। डी० एम० और एस० पी० हमारे एम० एल० एज और मिनिस्टर के डर की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे है और जो थोड़ा बहुत करना भी चाहते हैं और कोशिश करते है तो उनका स्थान जिले में न हो कर सचिवालय में होता है, उनको वहां बुला लिया जाता है, उनको वहां जगह दे दी जाती हैं। वे जिले में नहीं रह सकते हैं।

[श्री मही लाल]

ं चाहता हूं कि इस तरह की जो चीजें इनकी तरफ भी आपका ध्यान जाए।

वर्तमान शासन की नीयत पर मुझे सन्देह नहीं है। मुझे मंत्रीजी को मैंने बहुत निकट से देखा है और बहुत निकट से मैं उनको जानता हूं। गरीबों के लिए वह रो भी पड़ते हैं, आंसू भी उनके निकल जाते हैं। सही मानों में अगर आपको गरीबों की सेवा करनी है तो जो रुपया आपको मिलता है उस रुपए को खर्च करने का तरीका आपको बिल्कुल बदलना होगा, पैटर्न को आपको चेंज करना होगा, छोटे-छोटे उद्योग आपको देहातों में लगाने होंगे। हरिजनों को डेरी के वास्ते ज़मीन मिलनी चाहिए, रहट और कुओं के लिए कर्जे मिलने चाहिएं। एक हज़ार रुपया मकान बनाने के लिए आप देते हैं, ढाई सौ रुपया भेड़ा पालने के लिए देते हैं लेकिन आप क्या जानते है कि जो हज़ार रुपया उनको मिलता है उसके बदले उन बेचारों का डेढ़ हज़ार खर्च हो जाता है? नीचे से ऊपर न मालूम कितने लोगों को उनको रिश्वत देनी पड़ती है। समाज का पूरे का पूरा ताना बाना बिखरा हुआ है। वे पूरे के पूरे भिखारी बना दिए गए हैं। उन दोस्तों को जिनको मैं अभी छोड़ कर आया हूं, उनके वास्ते लड़ते-लड़ते मैं हार गया हूं और मैं अपनी हार मानता हूं, अपनी हार स्वीकार करता हूं, मैं कामयाब नहीं हो पाया इसको मैं मानता हूं। मैं मजबूर हो गया था हार मानने को इंदिराजी के बाद संजय गांधी नजर आने लग गए थे।

मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पार्लियामैंट के मैम्बरों की एक कमेटी बनाएं जो माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं उन पर विचार करे। साथ ही साथ जो रुपया प्रान्तों में जाता है वह उन कामों पर खर्च हो जिन कामों के लिए वह दिया जाता है। इसको देखने की भी आप कृपा करें और यह कमेटी उसको भी देख सकती है।

नव बौद्धों की मागों पर भी आपको विचार करना चाहिए। उनकी रिश्तेदारियां, नातेदारियां बेटी, बेटा सब हमारे साथ ब्याहे जाते हैं। वे अलग नहीं हैं। उनको अनुसूचित जातियों में आपको शामिल करना चाहिए और उनको भी वही अधिकार आपको देने चाहिएं। वे कोई दूसरे नहीं है। ऐसा करके आप उन पर कोई दया नही करेंगे। यह उनका राइट है, हक है। जो हरिजन पढ़-लिख गए थे उन्होंने ही बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, धर्म परिवर्तन किया हैं, वर्ण व्यवस्था से तंग आकर किया हैं। जातपांत के नाम पर जो अन्याय हों रहा है उससे तंग आकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। लेकिन वे हमसे अलग नहीं हैं। उनकी मांग को आप स्वीकार कर लें और जितनी जल्दी आप कर लें उतना ही अच्छा होगा।

मैं यह भी चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा जो शोषण का एक बड़ा भारी साधन है इसको भी आप समाप्त करें।

लोकआडीज, नगर पालिकायें महापालिकायें जो व्यापारिक संस्थाऐं

बना रही है, दुकानें बना रही है या और काम कर रही है, मेहरबानी करके आप नीति बना दें कि उनमें भी हरिजनों को उनकी संख्या के अनुपात में दुकान और मकान आदि दिए जाएंगें।

अपने उत्तर प्रदेश के बारे में मैं जानता हूं, बिहार के मंत्री जी, आप जानते होंगे कि पूरी तरह से उपेक्षा हो रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आयोग में जनसेवी लोग होंगे। मैं एक उदाहरण सुना दूं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के पुलिस कमीशन का मेम्बर रहने का जिसमें आई० ए० एस० आई०पी०एस० और, रिटायर्ड जजेज सदस्य थे मैंने 1958–59 में यह कहा कि महिला पुलिस की व्यवस्था कीजिए। मेरा अकेला नोट आफ सिसेंट था, लेकिन मेरी बात को कमीशन में किसी ने नहीं माना। लेकिन मेरे कहने के पांच साल बाद महिला पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी उत्तर प्रदेश में, और आज महिलायें कांस्टेबिल, दरोगा, डी० एस० पी०, एस० पी० के पदों पर काम कर रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अधिकारियों का ऐसा दृष्टिकोण होता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI K. PRADHANI (Nowrangpur): Mr. Chairman, Sir, before I speak on this Commissioner's Report, I would like to speak something about my substitute motion which stands against my name under serial No. 1. There is a Scheduled Tribe in the districts of Kalahandi and Koraput of Orissa State, it is enlisted in the Schedule Tribe Order under Serial No. 5 and that tribe is known as 'Bhattara' in the two districts of Kalahandi and Koraput. According to the Schedule Order, there is no area restriction in this State and the scheduled tribes mentioned in that list are meant for the whole State. In the year 1976, we passed a Bill known as the Area Restriction Removal Bill. Accordingly all area restrictions within the States were removed. There is also a judgement of the Supreme Court regarding the spelling variation between the name of the scheduled tribe community mentioned in the List and in the names held by the persons belonging to the schedule tribe community. For instance, the name of the scheduled tribe community 'Bhattara' is mentioned in the List as 'Bhatara'. Therefore, such spelling mistakes should be condoned and they should be accepted. The Supreme Court judgement also said that this kind of anomaly should not be viewed seriously. Sir, I have also written a letter to the Home Minister on 15th July 1977 requesting him to consider this and extend all the privileges to the scheduled tribes of Kalahandi district. The privileges that are allowed to this scheduled tribe residing in the other district of Koraput are not being allowed to the scheduled tribes of Kalahandi district for the last 20 years.

Then, Sir, I come to the reservaion of posts to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the Commissioner's report of 1973-74, I find that in Clauses 1, 2, 3 and 4, the percentage of scheduled castes employed is 3.58, 4.85, 10.34 and 17.86 respectively. The figures for the Schedule Tribes are respectively, 0.65, 0.50, 2.35 and 4.25 per cent. This is with regard to the Central Services upto 1-1-1974. The reservation for the Scheduled Castes is 15 per cent, for the Scheduled Tribes it is 7.5 per cent. But the figures I quoted show how meagre the actuality is and how the backlog is more than expected, especially for the Scheduled Tribes, which is so negligible. That it is regrettable to say in this House. Even in respect of class III and IV services as against 7.5 per cent we have only 2.35 per cent in class III and 4.25 per cent in class IV. The appointing authorities generally say that candidates are not available with them and the vacancies are sometimes dereserved and they are given to the other people. In Delhi when they call people for interview for class III

[Shri K. Pradhani]

or class IV posts, they say that no Scheduled Tribe candidate is available. I submit there are no Schedule Tribes in Delhi, Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Schedule Tribe people are there in Orissa Madhya Pradesh, Gujarat and Assam....(An Hon. Member.....West Bengal). So, when there is an advertisement in Delhi for some posts reserved for Scheduled Tribes, they cannot expect people to come from Assam or Orissa to work as clerks or peons. So automatically all these posts get dereserved. That is why I suggest that there should be regional reservation. For instance, in Orissa the Scheduled Tribes constitute 24 per cent and the Scheduled Castes 15 per cent. There may not be much difficulty for Scheduled Castes getting their quota filled in respect of class III and IV posts because they are there all over the country. But it is not so with regard to Scheduled Tribes and so regional reservation will have to be there. Therefore, I ask the hon. Minister to adopt a new policy of regional reservation for class III and IV posts.

Regarding class I and II posts they say that suitable candidates do not come for interview. Article 335 says that the claims of members of the Scheduled Castes and Tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration.

Article 16(4) of the Constitution contains the provision about reservation but article 335 takes away almost all the privileges given in that article. Taking advantage of the words 'consistently with the maintenance of efficiency of administration', the appointing authorities take the plea that those people who appear for interview are not competent to fill class I or II posts. Even if they may be first class MAs, they are rejected as unfit for that job Government has clarified in the standing orders that this phrase 'consistently with efficiency' means that they would be given relaxation to an extent of 5 marks. It is not a reservation but only a simple concession. Unless the Government gives more concessions and accepts all the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people who have passed the degree examination or postgraduate examination, the reserved vacancies in class I and II are not going to be filled up. Therefore, I would like to urge the Minister to give some more concessions to remove the backlog.

Then I come to Tribal development. The latest strategy of the Government of India with regard to Tribal Development, is to eliminate exploitation and to gear up economic development. In pursuance of this, the Government of India have taken steps to stop the exploitation of the tribal people. They have taken several steps to stop moneylending and liquor vending etc.

श्री छबिराम अंगल (मुरैना) : सभापति महोदय, बड़े जोर शोर से माननीय सदस्य बोल रहे हैं। कांग्रेस के मित्रों को इतना भी ख्याल नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के ऊपर चर्चा चल रही है, वे यहां मौजूद रहें। उनकी सारी बेंचेज खाली हैं।

SHRI K. PRADHANI: Integrated Tribal Development Projects have been started to eliminate exploitation and to accelerate economic development. Large scale multipurpose co-operative Societies have been started to provide necessary financial assistance to the tribal people, and to help them in marketing their agricultural produce. In Tribal areas, the money-lenders and businessmen take the utmost advantage in exploiting the tribal people. That is the reason why, the Government was pleased to put an end to this exploitation.

I would like to read a letter which was written by Shri C. P. Majhi, a Deputy Minister for Petroleum and Chemicals, very recently on 14th September, 1976. He has stated:

"While coming from Koraput to Vizag on the morning of 6th September, I happened to pass through a weekly market at a place caled Railgada....As the tribal farmer is not

capable of expressing himself properly and is also not knowing the actual price of his produce, the purchaser who is invariably a man from outside, takes advantage of his ignorance and cheats the tribal. The tribal is also incapable of defending himself when his stock is forcibly taken by the purchaser, putting whether amount he pleases into the hands of the tribal. I saw myself a man forcibly taking away about 3 Kilos of ginger from a tribal, putting only three one rupee notes in his hand. Thus the tribal becomes helpless and is not capable of protecting himself."

This letter was addressed to Shri Rama Chandra Ulaka, Minister of Tribal and Rural Welfare, Government of Orissa. I would urge the Minister to gear up all the institutions started under the Integrated Tribal Development Programme to minimise the exploitation of the tribal people.

Lastly, there are Project Directors appointed as the Heads of the integrated Tribal Development Projects. I come from a place where there is a Tribal Development Project for a subdivisions, which is known as Nowrangpur. It has got ten ITDP blocks. There is a Project Director who is of the rank of an Additional District Magistrate. According to the latest policy decided by the Government of India, the law and order situation should be under the direct control of the project administrator and he should be the administrative authority of that project area. But I am sorry to say that this practice is not being followed. The A.D.M. who has been posted as the ITDP officer has a very small room in a very small office in a corner of the town. He is quite aloof from the administrative authorities. The S.D.O. is different. The Collector is somewhere else. He is only entrusted with the development work. He has no jeep. Whenever he wants to go on tour he has to approach somebody else for a jeep for carrying on the ITDP propaganda work. The integrated tribal development project, which has been conceived recently as the new pattern of administration, will not succeed unless both law and order and development are linked together. At present, the tehsildar and revenue officers are separately appointed and these people are only meant for development projects. These should be linked together. So, I request the hon. Minister to pass necessary orders to the State Government of Orissa to revise this pattern of administration.

फादर एन्थनी मुरमू (राजमहल) : सभापति महोदय, यह जो कमिश्नर की रिपोर्ट है, अनुसूचित जाति और जन जाति के सम्बन्ध में, हम जिस पर हम बहस कर रहे हैं उसको पढ़ने से तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन जहां तक उसको कार्यान्वित करने का सवाल है उसमें यह टोटल फेल्योर है । जब हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं जो कि मुख्यत: आदिवासी क्षेत्र है तो हम देखते हैं कि वहां पर कितनी असमानता और गरीबी है । तीस वर्षों की आजादी के बाद भी हम देखते हैं कि हमारी हरिजन और आदिवासी जातियों के के साथ अन्याय हो रहा है । उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं । उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए वह नहीं दी जा रही है । उनके स्वास्थ्य के लिए जो अस्पताल खुलने चाहिएं वह नहीं खोले जा रहे हैं । उनके क्षेत्र में आवागमन के कोई साधन नहीं हैं । इस प्रकार हर क्षेत्र में वे पिछड़े हुए हैं ।

इस बार जब हम अपनी कांस्टीट्यून्सी का दौरा कर रहे थे तो देखा कि मकई न होने के कारण वहां बिल्कुल भुखमरी की हालत थी (यहां पर हमने सरकार से राहत के लिए प्रार्थना की तो वह भी समय पर नहीं पहुंची । इसका नतीजा यह हुआ कि जो महाजन लोग हैं उन्होंने गरीब आदिवासी लोगों के बर्तन ले लिए, महिलाओं के जेवर ले लिए, उनके पास जो बैल थे वह भी ले लिए । जब सरकार से निवेदन करते हैं कि हमको खेती के लिए बैल चाहिए तो ब्लाक के बी डी ओ

[फादर एन्थनी मुरमु]

बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह से जो हम एक विशस सर्किल में पड़ गए हैं उसका समाधान होना चाहिए। इसलिये मैं आप से यह अनुरोध करूंगा कि हमारे लोगों को न्याय मिले, जो खेती करने योग्य हैं उन को अपनी उपज का उचित दाम मिले और जो मज़दूरी करते हैं उन को सरकारी नियम के अनुसार मज़दूरी मिले। तब बहुत अंशों में यह गरीबी, दरिद्रता, दूर होगी। समय समय पर हम देखते हैं कि महाजन और आदिवासियों में मुठभेड़ हो जाती है। ज़मीन आदिवासी की है, लेकिन जोत रहे हैं–महाजन लोग और इस मुठभेड़ में गोली भी चल जाती है। हमारे लोगों के पास चूंकि बन्दूक नहीं हैं, इसलिए मारे जाते हैं। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि मंडल बेसरा सन्थाल पीरपैंती थाथ-ग्राम बारभसिया का इस तरह की मुठभेड़ में मारा गय। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन महाजन लोगों के पास जो आदिवासियों की ज़मीन जोतते हैं, बन्दूक न रहने दी जाये। बन्दूक न रहने से वे गोलियां नहीं चला सकेंगे।

सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए

हम अपने क्षेत्र में देखते हैं कि सरकार की ओर से करोड़ों रुपये की योजनायें हैं, लेकिन इस काम के लिए जो ज़मीन ली जाती है—कैनाल बनाने के लिए, उस ज़मीन की कीमत समय पर उन लोगों को नहीं मिल पाती है। यह आप के लैंक एक्वीज़ीशन डिपार्टमेण्ट की कमी है जो समय पर उन को यथार्थ रूप में ज़मीन की कीमत नहीं देते हैं। इस से पब्लिक ओपीनियन खराब हो ज ती है और जो सचमुच अच्छी योजनायें भी हैं उन में लोग सहयोग नहीं करते हैं।

इसके बाद मैं कुछ रीजनल भाषा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आदिवासी भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कचहरियों में भी आदिवासी भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। सतांली भाषा का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि हमारे लोग कानून को दूसरी भाषा में नहीं समझ सकते। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो अफसर लोग हमारे आदिवासी क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं, उन को वहीं की आदिवासी भाषा को सीखना चाहिए ताकि हमारे लोगों को न्याय मिल सके।

इस के साथ-साथ प्राइमरी लेबल से कालिज लेबल तक हमारे बच्चों को आदिवासी संताली भाषा की शिक्षा मिलनी चाहिए। इस भाषा को बोलने वाले 60–70 लाख लोग हैं। हमारे बच्चे जो कमिशन स्कूलों में पढ़ते हैं वहा तो टाप करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चे अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण नहीं होते हैं। इस का कारण है—अवहेलना। आदिवासियों को हर समय सौतेला व्यवहार मिलता है—राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से तथा आर्थिक दृष्टि से उन को जितना उठना चाहिए, उतना उठ नहीं पाते हैं। लेकिन यदि उस के साथ सच्चे रूप में व्यवहार हो तो वह अवश्य ऊपर उठ सकता है।

यह जो रिपोर्ट हम को मिली है—इससे भी आप को पता चलेगा—जहां तक एमप्लायमेण्ट का सवाल है, हम लोग राष्ट्रीय स्तर से बहुत नीचे हैं। शिक्षा के मामले में तो अभी तक 10 फीसदी पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं। सरकारी नौकरियों में हम लोग बहुत से डिपार्टमेण्ट्स में एक प्रतिशत भी नहीं हैं। तो वह बहुत अफ़सोस की बात है और लज्जा की बात है कि हमारे स्वतन्त्र भारत में यह असमानता अभी तक है। इस को दूर करना ही चाहिए और जब तक हम मानवता की भावना को लेकर आग नहीं

बढ़ेंगे तब तक हमारे देश में करोड़ों लोगों की हालत ऐसी ही रहेगी और वे दबाए जाएंगे। इसलिए हम लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि अनुसूचित जाति या जनजाति के जो लोग हैं वे भी मानव हैं और उन को ऊंचे स्तर पर लाने के लिए मानवता की भावना को लेकर चलना चाहिए। मैं आप से यह निवेदन करता हूं कि संसद् सदस्यों को हर सुविधा मिलनी चाहिए जिस से वे अपने क्षेत्रों में घूम सकें और इस कारण मिनिस्टरों और संसद् सदस्य में बहुत कम रहना चाहिए क्योंकि एक संसद् सदस्य को 10 लाख या 12 लाख आदमियों को देखना पड़ता है और उसकी पार्लियामेंटरी कास्टीटुयेन्सी एक हजार वर्ग मील की हैं और कहीं कहीं पर डेढ़ हजार और दो हजार वर्ग मील भी है। इसलिए उस के पास कन्वीयेन्स का होना बहुत जरूरी है और तभी यह सही रूप से अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वह मानव की सेवा करें तो उसको सब तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ़ से उस के लिए एक क्लर्क की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ साथ एक ड्राइवर भी होना चाहिए और पोस्टेज उसे फ्री मिलनी चाहिए। 10 लाख लोगों की जो तकलीफें होंगी, उन की दरिद्रता को दूर करने के लिए उसे हर ब्लाक और हर क्षेत्र में जाना पड़ेगा। इस के अलावा जो इर्रीगेशन आदि की योजना वहां पर चलेंगी, उन पर सही रूप से चैक रखने के लिए इन सुविधाओं की उस को बहुत जरूरत है अगर वह अपना चैक नहीं रखेगा, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन और ब्योरोक्रेसी के भरोसे हम देश में सुधार नहीं ला सकते हैं। इन बातों पर आप को ध्यान देना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि संसद् सदस्यों को आप पूरी सुविधाएं देंगे क्योंकि संसद् सदस्यों के प्रयत्नों से ही हमारे देश में सच्चा सोशलिज्म आएगा।

SHRI C. N. VISVANATHAN (Tiruppattur): Mr. Chairman, Sir, I am supporting the Motion moved by Prof. Madhu Dandavate about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this Session. One Member from the Janata Party said that only 2 Congress Members are present in the House. I feel the same way about the Janata Party and about Government also. There is no Cabinet Minister present now; and the attendance in the House is only about 37, i.e. not more than 9 per cent This shows that the House and the Members are not showing adequate interest on this Motion. The people of India are watching very closely as to what this Government and this House are going to do for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There may be a false propaganda that the Government is doing much for the SCs and STs. We should do something concrete for the SCs and STs. Merely giving reservation of seats and some jobs to them is not enough.

MR. CHAIRMAN: Mr. Visvanathan will get his chance to continue the speech. The House now stands adjourned.

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 18, 1977/Kartika 27, 1899 (Saka)

GMGIPND—PMR—2416 L.S—16-12-77—9,000